[2010] 3 उम. नि. प. 144

के. कृष्णमूर्ति (डा.) और अन्य

बनाम

भारत संघ और एक अन्य

11 मई, 2010

मुख्य न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन्, न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन, न्यायमूर्ति डी. के. जैन, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम् और न्यायमूर्ति जे. एम. पंचाल

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) – निर्वाचित स्वशासी संस्थाओं में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण – सांविधानिक विधिमान्यता – निर्वाचित स्वशासी संस्थाओं में अध्यक्ष के पदों की तुलना लोक नियोजन के संदर्भ में एकल पदों से नहीं की जा सकती – अनुच्छेद 243-घ(4) में पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आनुपातिक रीति में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के लिए और अध्यक्ष के सभी पदों के एक-तिहाई पदों पर स्त्रियों के पक्ष में आरक्षण के लिए स्पष्ट सांविधानिक आधार का उपबंध है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) – पंचायतों और नगरपालिकाओं में स्थानों का या अध्यक्षों के पदों का पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण – सांविधानिक विधिमान्यता – अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) राज्य विधान मंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थान और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने के लिए मात्र समर्थ बनाते हैं किन्तु उनमें पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए कोई दिशानिर्देश और

ऐसे आरक्षण की मात्रा के लिए कोई सिद्धांत विनिर्दिष्ट नहीं हैं इसलिए इन पदों पर अननुपाती आरक्षण को राज्य विधानों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट रूप से चुनौती दी जा सकती है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) – पंचायतों और नगरपालिकाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा – यद्यपि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए किन्तु अनुसूचित क्षेत्रों में अवस्थित पंचायतों में उनके आरक्षण के मामले में अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षित करने के लिए ही अपवाद के तौर पर उपबंध किए जा सकते हैं ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) – पंचायतों और नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण – पिछड़े वर्गों की पहचान – अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) के अधीन पिछड़े वर्गों की पहचान करना अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजनार्थ सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करने और अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों की पहचान करने से सुभिन्न है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का आवश्यक रूप से राजनैतिक पिछड़ेपन से कोई मेल नहीं होता है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न – निर्वाचित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में आरक्षण की प्रकृति और प्रयोजन – निर्वाचित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अधीन यथा-अनुध्यात उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन में आरक्षण से पर्याप्त रूप से भिन्न है और अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न सकारात्मक कार्रवाई के लिए सुभिन्न और स्वतंत्र सांविधानिक आधार गठित करते हैं तथा अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) द्वारा समर्थित आरक्षण नीतियों के संबंध में तैयार किए गए सिद्धांत स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आसानी से लागू नहीं किए जा सकते हैं ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न – निर्वाचित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में आरक्षण – क्रीमी लेयर को अपवर्जित करना – चूंकि स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का आशय निर्वाचित प्रतिनिधियों की बजाय प्रत्यक्षतः संपूर्ण समुदाय को फायदा पहुंचाना है इसलिए स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में क्रीमी लेयर को

अपवर्जित नहीं किया जा सकता बल्कि ऐसा अपवर्जन शिक्षा और नियोजन के क्षेत्र में आरक्षण के संदर्भ में साध्य तथा वांछनीय हो सकता है ।

इन रिट याचिकाओं में निर्वाचित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के गठन के लिए विहित आरक्षण नीति के कुछ पहलुओं की सांविधानिक विधिमान्यता की परीक्षा करने की अपेक्षा की गई है । विशिष्टतया, दलीलें उन उपबंधों पर केन्द्रित की गई हैं जिनमें पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करना समर्थ बनाया गया है और जिनमें निर्वाचित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करना अनुध्यात है । इन उपबंधों को इसलिए चुनौती दी गई है कि वे समता और लोकतंत्र के उन सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हैं जिन्हें 'मूलभूत ढांचे' के सिद्धांत का एक भाग समझा जाता है । संविधान (तिहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 और संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान के पाठ में भाग 9 और भाग 9क अंतःस्थापित किए गए थे जिनके द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, अर्थात् पंचायतों (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और नगरपालिकाओं (नगरीय क्षेत्रों के लिए) की शक्तियों, उनके गठन और कृत्यों पर विचार किया गया है । लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण, नागरिकों और राज्य के तंत्रों के बीच बृहत्तर जवाबदेही और कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण जैसे उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए इन सांविधानिक संशोधनों में निर्वाचित स्थानीय निकायों का एक क्रमबद्ध ढांचा अनुध्यात था । ग्रामीण क्षेत्रों की बाबत भाग 9 में तीन सोपान वाली पंचायतों की संकल्पना की गई है, अर्थात् (प्रत्येक ग्राम या छोटे ग्रामों के समूह के लिए) 'ग्राम पंचायत', (खंड स्तर पर) 'पंचायत समिति' और (जिला स्तर पर) 'जिला परिषद्' । नगरीय क्षेत्रों के लिए, भाग 9क में(एक ग्रामीण क्षेत्र से एक नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्रों के लिए) 'नगर पंचायतों', (लघुतर नगरीय क्षेत्रों के लिए) 'नगर परिषदों' और (बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों के लिए) 'नगर निगमों' का गठन विहित है । वर्तमान रिट याचिका में याची ने अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) की सांविधानिक विधिमान्यता को इसलिए चुनौती दी है चूंकि उसके द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं में स्थान और अध्यक्ष के पदों पर पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण समर्थ बनाया गया है । इसके साथ-साथ अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) की सांविधानिक विधिमान्यता को भी इस कारण चुनौती दी गई है क्योंकि उनके द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण समर्थ बनाया गया है । उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – उन सिद्धांतों को, जो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) द्वारा अनुध्यात आरक्षण फायदे प्रदत्त करने के लिए तैयार किए गए हैं, अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न द्वारा समर्थित आरक्षणों के संदर्भ में यंत्रवत् लागू नहीं किया जा सकता । इस संबंध में, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न एक सुभिन्न और स्वतंत्र सांविधानिक आधार गठित करते हैं, जिसका स्वरूप और प्रयोजन उन आरक्षण नीतियों से भिन्न है जो कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अधीन यथा-अनुध्यात क्रमशः उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन की पहुंच में सुधार लाने के लिए तैयार की गई हैं । यह कुछ सीमा तक सही है कि उस प्रकृति की अलाभप्रदता की, जो शिक्षा और नियोजन तक पहुंच को निर्बंधित करती है, तुलना आसानी से राजनैतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में की अलाभप्रदता से नहीं की जा सकती । निश्चित रूप से, सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ेपन से आवश्यक रूप से राजनैतिक पिछड़ापन विवक्षित नहीं होता है । तथापि, 'चयन' (शिक्षा और नियोजन की दशा में) और 'निर्वाचन' (राजनैतिक प्रतिनिधित्व की दशा में) के बीच विभेद से संबंधित याची की अवधारणा इसमें अंतर्वलित जटिलताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है । निस्संदेह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात का अवधारण करने के लिए कि शिक्षा और नियोजन तक किसकी पहुंच हो सकती है, योग्यता और दक्षता संबंधी विचारणाओं को सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए जिसे वस्तुपरक रीति में ही मापा जा सकता है । अतः, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्ती साधारणतया परीक्षाओं, साक्षात्कारों या पूर्व कार्य के अवधारण जैसी पद्धतियों के माध्यम से की जाती है । चूंकि यह महसूस किया जाता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदक अन्य आवेदकों के मुकाबले अलाभप्रद स्थिति में होते हैं जब वे इन पद्धतियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए आरक्षण फायदे प्रदान करके ऋजु व्यवहार सृजित करने की ईप्सा की जाती है । (पैरा 30 और 31)

राजनैतिक भागीदारी के क्षेत्र में, इस बात का अवधारण करने का कोई वस्तुपरक पैरामीटर नहीं हो सकता है कि किसी भी स्तर पर प्रतिनिधि संस्थाओं में किस व्यक्ति के निर्वाचित हो जाने की संभावना अधिक है । मतदाताओं के विकल्प किसी अभ्यर्थी की योग्यता और दक्षता के वस्तुपरक अवधारण द्वारा मार्गदर्शित नहीं होते हैं । इसके बजाय, उन्हें आत्मपरक

कारणों, जैसे अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थी की समर्थन प्राप्त करने की योग्यता, उसका पिछला सेवा अभिलेख, प्रकट विचारधारा और संगठित समूहों से सहबद्धता से आकार मिलता है । इस संदर्भ में, यह पूर्णतः संभव है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों के अभ्यर्थी इन आत्मपरक योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं और सापेक्ष रूप से बड़े समूहों के अभ्यर्थियों के मुकाबले निर्वाचन जीत सकते हैं । तथापि, सभी परिस्थितियों में ऐसी स्थिति की उपधारणा नहीं की जा सकती है । इस बात की पूर्णतः कल्पना की जा सकती है कि कुछ स्थानीय परिस्थितियों में सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ापन प्रभावी राजनैतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में बाधा के रूप में भी कार्य कर सकता है । जब स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ ऋजु व्यवहार सृजित करने की बात आती है तो आरक्षण फायदे प्रदान करने के लिए सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ापन निश्चित रूप से एक मापदंड हो सकता है । उस प्रकृति के फायदों के बीच भी, जो एक ओर शिक्षा और नियोजन सुलभ कराने से और दूसरी ओर बुनियादी स्तर पर राजनैतिक भागीदारी से उद्भूत होते हैं, एक अंतर्निहित अंतर है । जबकि उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन सुलभ कराने से व्यष्टिक फायदाग्राहियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की संभावना बढ़ती है किन्तु स्थानीय स्वशासन में भागीदारी उस समुदाय के लिए, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि का संबंध है, सशक्तीकरण के अधिक आसंन्न अध्युपाय के रूप में आशयित है । लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य न केवल शासन को लोगों के निकट लाना है बल्कि इसे और अधिक सहयोगी, अंतर्वेशी और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जवाबदेह बनाना है । इस आशय से स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का आशय न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को बल्कि समस्त समुदाय को सीधा फायदा पहुंचाना है । यही कारण है कि राजनैतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में क्रीमी लेयर का अपवर्जन नहीं हो सकता है । उन समूहों के भीतर, जो कि आरक्षण नीतियों के आशयित फायदाग्राही हैं, व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत में असमानताएं होना अवश्यंभावी है । जबकि क्रीमी लेयर का अपवर्जन शिक्षा और नियोजन में आरक्षण के संदर्भ में साध्य तथा वांछनीय हो सकता है किन्तु यही सिद्धांत स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है । पंचायतों के स्तर पर, निर्वाचित व्यक्ति को सशक्त करना कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने संबंधी व्यापक उद्देश्य को अग्रसर करने का केवल एक माध्यम है । अतः, आशयित फायदाग्राहियों में से सापेक्ष रूप से अधिक संपन्न व्यक्तियों

को आरक्षण संबंधी उन फायदों से, जो कि स्थानीय निकायों के गठन में विविधता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, अपवर्जित करना अंतर्बोध के विरुद्ध होगा । इस बात की पूर्ण संभावना है कि ऐसे व्यक्ति अपने-अपने समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें संरक्षित करने में अधिक सक्षम हों । अब हम विवादास्पद मुद्दों के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं । (पैरा 32 और 33)

स्वीकृततः, अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) में इस बारे में कोई दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं कि पिछड़े वर्गों की पहचान कैसे की जाए और न ही उनमें ऐसे आरक्षण की मात्रा के लिए कोई सिद्धांत विनिर्दिष्ट किया गया है । इसके बजाय, राज्य विधान मंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण फ़ायदे तैयार करने और उन्हें प्रदान करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है । यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि इस वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करने की बाबत प्रश्न उद्भूत होंगे । इस संबंध में हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं है कि राज्य विधानों द्वारा उपबंधित अत्यधिक और अननुपाती आरक्षण निश्चित रूप से न्यायालयों के समक्ष विनिर्दिष्ट चुनौती की विषयवस्तु हो सकता है । तथापि, इससे अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) को विखंडित करना न्यायोचित नहीं हो जाता, जो कि ऐसे सांविधानिक उपबंध हैं जो पहली बार पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करना समर्थ बनाते हैं । जहां तक राज्य विधानों को दी गई चुनौती का संबंध है, हमें ऐसी कोई पर्याप्त सामग्री या तर्क-वितर्क नहीं दिया गया है जिनसे हमें उनके बारे में विनिश्चय करने में सहायता मिल सके । आरक्षण के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करना एक कार्यपालक कृत्य है और जैसा कि अनुच्छेद 340 में आदिष्ट है, पिछड़ेपन के स्वरूप और विवक्षाओं के बारे में यथार्थ आनुभाविक जांच संचालित करने के लिए समर्पित आयोगों की नियुक्ति करना आवश्यक है । कार्यपालिका के लिए यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि आरक्षण नीतियों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाए जिससे कि उसे अति-विस्तारित होने से बचाया जा सके । कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम, 1993 के प्रति आक्षेपों के संबंध में हम केवल चिन्नपा रेड्डी आयोग रिपोर्ट (1990) के प्रतिनिर्देश कर सकते हैं जिसमें वही स्थिति प्रतिबिंबित की गई है जैसी कि वह बीस वर्ष पूर्व थी । अद्यतन आनुभाविक आंकड़ों के अभाव में न्यायालय के लिए यह विनिश्चित करना लगभग असंभव है कि अन्य पिछड़े वर्गों के समूहों के पक्ष में किए गए आरक्षण यथानुपात में हैं अथवा

नहीं । इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के विस्तार के बारे में किए गए दावे 1991 की जनगणना पर आधारित हैं । हम इन प्रश्नों को अनिर्णीत छोड़ने के इच्छुक हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याची राज्य विधानों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि वे अद्यतन आनुभविक आंकड़ों की सहायता से अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने में बरती गई त्रुटियां निकाल सकते हैं । सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन आवश्यक रूप से राजनैतिक पिछड़ेपन के समान नहीं है । इस संबंध में, राज्य सरकारों को यह उचित सलाह दी जाती है कि वे अपनी आरक्षण नीतियों को फिर से संरूपित करें जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) के अधीन फायदाग्राहियों की सीमा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के फायदाग्राहियों [अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजनार्थ] या उन पिछड़े वर्गों के फायदाग्राहियों, जिनका सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व है [अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनार्थ] की सीमा के समान हो । यह कहना निरापद होगा कि उन सभी समूहों को, जिन्हें शिक्षा और नियोजन के क्षेत्र में आरक्षण फायदे दिए गए हैं, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है । ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनैतिक भागीदारी से संबंधित बाधाएं उसी स्वरूप की नहीं हैं जैसी कि वे बाधाएं जो शिक्षा और नियोजन की सुलभता को सीमित करती हैं । इसीलिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों के संबंध में कुछ नई सोच लाने और नीति बनाने की आवश्यकता है । (पैरा 34,35 और 36)

स्थानीय स्वशासन में पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा के बारे में सुस्पष्ट सांविधानिक दिशानिर्देश के अभाव में, आनुपातिक आरक्षण व्यावहारिक बना हुआ है । तथापि, हमें इस तथ्य पर अवश्य ही जोर देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वस्थ आरक्षण की बाबत 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक परिसीमा) का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए । इस अधिकतम सीमा का उल्लंघन करने के प्रश्न पर याचियों द्वारा जो दलीलें दी गई हैं वे कुछ भ्रामक हैं चूंकि उन्होंने यह प्राख्यान करने के लिए कि कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया गया है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वस्थ आरक्षण तथा महिलाओं के पक्ष में समस्तर आरक्षण को भी हिसाब में ले लिया है । यह स्पष्टतः स्थिति का गलत अर्थ लगाना था चूंकि

महिलाओं के पक्ष में किया गया समस्तर आरक्षण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए गए ऊर्ध्वस्थ आरक्षण को काटने के लिए आशयित है क्योंकि पश्चात्वर्ती प्रवर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक-तिहाई स्थान उन्हीं प्रवर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हैं । इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बात का अनुमान लगाना है कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं, सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित स्थानों को गणना में नहीं लिया जाना है । स्वीकृततः, जब राजनैतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है तो कुछ आपवादिक मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण अवश्य विद्यमान है । उदाहरणार्थ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और सिक्किम विधान सभाओं में इतना आरक्षण है कि वह 50 प्रतिशत की सीमा से काफ़ी अधिक है । तथापि, ऐसी स्थिति इन क्षेत्रों के संबंध में आपवादिक विचारणाओं के परिणामस्वरूप है । इसी प्रकार, 50 प्रतिशत से अधिक ऊर्ध्वस्थ आरक्षण पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में अवस्थित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के गठन के लिए अनुज्ञेय है । तथापि, ऐसी आपवादिक विचारणाओं को तब लागू नहीं किया जा सकता है जब वह साधारण क्षेत्रों में अवस्थित स्थानीय निकायों के प्रयोजनों के लिए पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा की परीक्षा कर रहे हों । इन परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वस्थ आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकता है । यह स्पष्ट है कि इस ऊपरी सीमा का पालन करने के लिए कुछ राज्यों ने अपने विधानों में इस प्रकार उपांतरण किए हैं जिससे कि अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में विद्यमान कोटे की मात्रा को घटाया जा सके। (पैरा 37 और 39)

तथापि, अनुच्छेद 243-घ(4) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने का (आनुपातिक रीति में) स्पष्ट सांविधानिक आधार प्रदान किया गया है जबकि इसमें यह उपबंध भी किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के एक-तिहाई पद महिलाओं के पक्ष में आरक्षित होंगे । जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 243-घ के उपबंधों के पीछे जो कारण थे उनकी तुलना अनुच्छेद 16(4) के उन उपबंधों से आसानी से नहीं की जा सकती जो कि लोक नियोजन में आरक्षण का आधार है । सेवा विधि के क्षेत्र में यह स्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 16(4) की स्कीम के अधीन

एकल पद आरक्षित नहीं किए जा सकते । आरक्षण के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष के पदों का अवलोकन अपने आप में एकल पदों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए । इसकी बजाय, निर्देश का ढांचा संपूर्ण राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में से प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के पदों का संपूर्ण पूल होता है । स्थानों के इस पूल में से, जिसकी गणना में संपूर्ण राज्य में की पंचायतें आती हैं, उन पदों की संख्या का अवधारण, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित किए जाने हैं, इन प्रवर्गों की जनसंख्या और राज्य की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात के आधार पर किया जाएगा । अनुच्छेद 243-घ(4) के प्रथम परन्तुक के पठन मात्र से ही इस निर्वचन को स्पष्ट रूप से समर्थन प्राप्त होता है ।(पैरा 40)

जब निर्देश का आधार संपूर्ण राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर संगणित अध्यक्ष के पदों का संपूर्ण पूल है तो शत-प्रतिशत आरक्षण की संभावना उद्भूत नहीं होती है । इस प्रयोजन के लिए, लोक सभा और उनसे संबंधित विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किए जाने वाले आरक्षणों से हल्की सी सादृश्यता बनाई जा सकती है । इन निकायों के निर्वाचनों से पूर्व, निर्वाचन आयोग कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में निश्चित कर देता है जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होते हैं । इन आरक्षणों के प्रयोजनार्थ उस राज्य में लोक सभा या विधान सभा के स्थानों की कुल संख्या न कि क्रमशः किसी संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य का एकल पद निर्देश का आधार होता है । इसलिए, पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के संदर्भ में, कतिपय संख्या में इन पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के पक्ष में आरक्षित करना अनुज्ञेय है बशर्ते ऐसा अनुच्छेद 243-घ(4) के परन्तुकों के अनुसार किया जाता है । (पैरा 41)

नगरीय स्थानीय निकायों की दशा में, अनुच्छेद 243-न(4) भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के पक्ष में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण समर्थ बनाता है । तथापि, नगरीय क्षेत्रों में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु कोई और विनिर्देश नहीं हैं । जबकि यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं है कि इसके पीछे विधायी आशय क्या है किन्तु कोई भी संभवतः यह अनुमान लगा सकता है कि यह उपधारणा की गई थी कि आशयित फायदाग्राही, नगरीय स्थानीय निकायों में राजनैतिक भागीदारी की, जब उसकी तुलना ग्रामीण स्थानीय निकायों से

की जाती है, बाधाओं को पार करने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे । यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि पंचायतों और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को कार्यपालक शक्तियां सौंपी गई हैं इसलिए इन पदों को आरक्षित करना सरकार के उच्चतर स्तरों पर कार्यपालक पदों के आरक्षण के लिए पुरोगामी साबित हो सकेगा । यह भी सुझाव दिया गया था कि अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों को आरक्षित करने के समान है । सरकार के उच्चतर स्तरों के साथ यह सादृश्यता भ्रामक है । पंचायतों और नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद संरक्षात्मक विभेद के उपाय के रूप में आरक्षित किए जाते हैं जिससे कि कमजोर वर्गों को स्थानीय स्तर पर मोर्चाबंदी करने संबंधी हितों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने में समर्थ बनाया जा सके । कमजोर वर्गों के व्यक्तियों द्वारा सहन की जा रही अलाभप्रदता और विभेद के प्रतिमान स्थानीय स्तर पर अधिक व्यापक हैं । लोक सभा और विधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में, जो कि सीमांतवाद और अन्यायपूर्ण विभेद के विरुद्ध सुरक्षोपाय के रूप में मुख्यधारा वाले राजनीतिक दलों तथा मीडिया की छानबीन के समर्थन पर निर्भर कर सकते हैं, अलाभप्रद वर्गों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई समर्थन-आधार नहीं हो सकता है । इस संबंध में, संसद् ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण को समर्थ बनाना उपयुक्त समझा कि न केवल कमजोर वर्गों को स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो बल्कि उन्हें प्रमुख की भूमिकाएं निभाने का अवसर भी प्राप्त हो । (पैरा 44)

जबकि निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करना उदार लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है किन्तु भारतीय विधि में यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि मत देने और निर्वाचन लड़ने के अधिकार को मूल अधिकारों की हैसियत प्राप्त नहीं है । इसके विपरीत, वे विधिक अधिकारों की प्रकृति के हैं जिन्हें विधायी माध्यमों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है । संविधान में भारत के निर्वाचन आयोग को लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए पात्र मतदाताओं की पहचान करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचक नामावलियां तैयार करने की शक्ति दी गई है । इससे यह संकेत मिलता है कि मत देने का अधिकार कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है और इसका किसी अमूर्त अर्थ में दावा नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्वाचन लड़ने के लिए व्यक्तियों की पात्रता के संबंध

में सांविधानिक दिशानिर्देश को प्रभावी किया गया है । इसमें वे आधार भी शामिल हैं जो व्यक्तियों को निर्वाचन लड़ने के अपात्र बनाते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, वह व्यक्ति, जो अस्वस्थ चित्त का है, दिवालिया है और अन्य बातों के साथ-साथ कार्यपालिका के अधीन लाभ का पद धारण करता है । यह कहना पर्याप्त होगा कि निर्वाचन लड़ने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है चूंकि उसके ऊपर सुव्यक्त विधायी नियंत्रण हैं । (पैरा 45)

यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद के अधीन सरकारी कार्रवाई के लिए अपेक्षित युक्तियुक्तता, ऋजुता और भेदभावरहित मानक को ध्यान में रखते हुए, उन निर्बंधनों को अविधिमान्य करने के लिए मामला बनता है जो स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों के परिणामस्वरूप इन अधिकारों पर अधिरोपित किए गए हैं । इस मामले में, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करने के लिए आनुपातिकता की कसौटी अत्यधिक उपयुक्त मानक है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने से अनारक्षित प्रवर्गों के व्यक्तियों के राजनैतिक भागीदारी के अधिकार कतिपय सीमा तक निर्बंधित होते हैं । तथापि, हम यह महसूस करते हैं कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में कमजोर वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करके उनके हितों को संरक्षित करने संबंधी विधिसम्मत सरकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त वर्गीकरण की कसौटी पूरी हो जाती है । प्रत्यर्थियों के निवेदनों में इस स्थिति को अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है, जिनमें यह कहा गया है कि शक्ति की विषमताएं यह अपेक्षा करती हैं कि अध्यक्ष अलाभप्रद समुदाय का होना चाहिए जिससे कि इन पंचायतों की कार्यसूची का बहुसंख्यक सदस्यों के कारणों से अपहरण न होने पाए । (पैरा 46)

स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों की प्रभावकारिता के बारे में इन चिंताओं के होते हुए भी न्यायपालिका के लिए किसी दूसरे सामाजिक कल्याण के अध्युपाय का अनुमान लगाना उचित नहीं है जिसे किसी सांविधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है । (पैरा 47)

परिणामस्वरूप, (i) स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आरक्षणों की प्रकृति और प्रयोजन उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन के संदर्भ से पर्याप्त रूप में भिन्न है । इस आशय से, अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक सुभिन्न और स्वतंत्र सांविधानिक आधार

गठित करते हैं और अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) द्वारा समर्थित आरक्षण नीतियों के संबंध में तैयार किए गए सिद्धांतों को स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में सहज ही लागू नहीं किया जा सकता है । जब भी वे सिद्धांत बनाए जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वे अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनों के लिए आरक्षण की अवधि की तत्स्थानी अवधि के लिए हों किन्तु वे काफी कम अवधि के लिए हो सकते हैं । (ii) अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) सांविधानिक रूप से विधिमान्य हैं चूंकि वे ऐसी प्रकृति के उपबंध हैं जो राज्य विधान मंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थान और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने के लिए मात्र समर्थ बनाते हैं । अननुपाती आरक्षण के बारे में प्रश्न राज्य विधानों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट चुनौती द्वारा उठाए जाने चाहिएं । (iii) हम आक्षेपित राज्य विधानों के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित आरक्षण की मात्रा की अतिव्यापकता के बारे में किए गए दावों की परीक्षा करने की स्थिति में नहीं है चूंकि ऐसे कोई समकालीन आनुभविक आंकड़े मौजूद नहीं हैं । यह कार्यपालिका का दायित्व है कि वह पिछड़ेपन के उस ढांचे का सख्ती से अन्वेषण करे जो कि राजनैतिक भागीदारी में बाधक के रूप में कार्य करता है और जो कि वास्तव में शिक्षा और नियोजन सुलभ कराने के मामले में अलाभप्रदता के ढांचे से पूर्णतः भिन्न है । चूंकि हमने केवल अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) की सांविधानिक विधिमान्यता के संबंध में विचार किया है और विनिश्चय किया है इसलिए याची या कोई व्यथित पक्षकार उक्त सांविधानिक उपबंधों के अनुसरण में अधिनियमित किसी राज्य विधान को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा । हमारा यह मत है कि अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) के अधीन पिछड़े वर्गों की पहचान अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजनार्थ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों की पहचान करने से सुभिन्न होनी चाहिए । (iv) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊर्ध्वास्थ आरक्षण की अधिकतम सीमा का स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में भंग नहीं किया जाना चाहिए । अपवाद केवल अनुसूचित क्षेत्रों में अवस्थित पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के मामले में उनके हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से किया जा सकता है । (v) अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) द्वारा अनुध्यात रीति में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण सांविधानिक रूप से विधिमान्य है । अध्यक्ष के इन पदों की तुलना लोक नियोजन के संदर्भ में एकल पदों से नहीं की जा सकती है । (पैरा 48)

2010(5) eILR(PAT) SC 280

अनुमोदित निर्णय

		पैरा
[1999]	ए. आई. आर. 1999 मुम्बई 142 : **विनायकराव गंगारामजी देशमुख** बनाम **पी. सी. अग्रवाल और अन्य** ।	30

निर्दिष्ट निर्णय

[2010]	(2010) 1 स्केल 281 : **भारत संघ** बनाम **राकेश कुमार** ;	39
[2007]	(2007) 2 एस. सी. सी. 1 : **आई. आर. कोयल्हो** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	9
[2006]	(2006) 8 एस. सी. सी. 212 : **एम. नागराज** बनाम **भारत संघ** ;	21
[2006]	(2006) 7 एस. सी. सी. 1 : **कुलदीप नैयर** बनाम **भारत संघ** ;	21
[1997]	(1997) 6 एस. सी. सी. 283 : **स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान** बनाम **के. एल. नरसिंहन** ;	14
[1996]	ए. आई. आर. 1996 पटना 112 : **कृष्ण कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य** ;	40
[1992]	(1992) 4 एस. सी. सी. 80 : **मोहन लाल त्रिपाठी** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट राय बरेली** ;	21,45
[1992]	(1992) सप्ली. 3 एस. सी. सी. 217 : **इंदिरा साहनी** बनाम **भारत संघ** ;	13,26,38
[1992]	(1992) 2 एस. सी. सी. 438 : **रमा कांत पांडे** बनाम **भारत संघ** ;	21
[1988]	ए. आई. आर. 1988 पटना 75 : **जनार्दन पासवान** बनाम **बिहार राज्य** ;	19,40
[1982]	(1982) 1 एस. सी. सी. 691 : **ज्योति बसु** बनाम **देवी घोषाल** ;	21

[1975]	(1975) सप्ली. एस. सी. सी. 1 : **इंदिरा गांधी** बनाम **राज नारायण** ;	22
[1973]	[1973] 2 उम. नि. प. 159 = (1973) 4 एस. सी. सी. 425 : **केशवानंद भारती** बनाम **केरल राज्य** ;	9
[1966]	ए. आई. आर. 1966 पटना 112 : **कृष्ण कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य** ;	19
[1963]	ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649 : **एम. आर. बालाजी** बनाम **मैसूर राज्य** ;	13
[1952]	(1952) एस. सी. सी. 218 : **एन. पी. पुन्नुस्वामी** बनाम **रिटर्निंग आफिसर** ।	21

आरंभिक (सिविल) अधिकारिता : 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं. 356. [इसके साथ 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 245 और 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 517 भी सुनी गई]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन याचिका ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से — सर्वश्री गोपाल सुब्रमण्यम, अपर महासालिसिटर, उदय होल्ला, रामा जायस, सलमान खुर्शीद, राकेश कुमार खन्ना, के. राधाकृष्णन्, ए. मरियापुथम, आर. षणमुगसुन्दरम्, दिनेश द्विवेदी, (सुश्री) हेतु अरोड़ा, (सुश्री) अनिता अब्राहम, डा. राजीव धवन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, शैल कुमार द्विवेदी, अपर महाधिवक्ता, नवीन आर. नाथ, (सुश्री) ललित मोहिनी भट्ट, गोविन्द गोयल, इम्तियाज़ अहमद, श्रीमती नगमा इम्तियाज़, डा. रश्मि खन्ना, फैज़ी अहमद सैयद, विनय कुमार गर्ग, श्रीमती रेखा पांडे, एस. डब्ल्यू. ए. कादरी, अमन अहलुवालिया, डी. एस. मेहरा, बी. कृष्ण

प्रसाद, (सुश्री) सुषमा सूरी, बी. वी. बलराम दास, (सुश्री) अनिल कटियार, प्रशांत भूषण, (सुश्री) मीनाक्षी अरोड़ा, श्रीमती जयश्री आनन्द, के. के. महालिक, अजय पाल, (सुश्री) ए. सुभाषिणी, विश्वजीत सिंह, अशोक कुमार महाजन, प्रमोद दयाल, (सुश्री) सुमिता हज़ारिका, टी. हरीश कुमार, आर. अय्यम पेरूमल, दिनेश कुमार गर्ग, अरुणेश्वर गुप्ता, अनीस सुहरावर्दी, (सुश्री) हेमन्तिका वाही, (सुश्री) पिंकी, (सुश्री) के. एनातोली सेमा, सोमनाथ, जनरंजन दास, स्वेताकेतु मिश्रा, (सुश्री) कामिनी जायसवाल, नरेश कुमार शर्मा, तारा चन्द्र शर्मा, कुमारी नीलम शर्मा, अजय शर्मा, किशन दत्ता, राजीव शर्मा, रुपेश कुमार, एस. धनन्जय, श्रीमती अरुणा माथुर, अखिलेश कुमार (मैसर्स अरुपुथम अरुणा एंड कंपनी की ओर से), रंजन मुखर्जी, वी. जी. प्रागसम, एस. जे. एरिस्टोटल, प्रभु रामासुब्रमण्यन, संजय आर. हेगड़े, विक्रांत यादव, ए. रोहन सिंह, अमित कुमार चावला, रिंकू शर्मा, कृष्ण शर्मा (मैसर्स कारपोरेट लॉ ग्रुप की ओर से), (सुश्री) विभा दत्त मखीजा, पी. वी. दिनेश, (सुश्री) निरंजना सिंह, अभिषेक चौधरी, प्रतीक द्विवेदी, मनीष श्रीवास्तव (कमलेन्द्र मिश्रा की ओर से), खा. नोबिन सिंह, के. एन. मधुसुधानन, आर. सतीश, बी. एस. बंथिया, विकास उपाध्याय, (सुश्री) सुपर्णा श्रीवास्तव (उपस्थित नही), नीरज गुप्ता, राम स्वरूप शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, मनीष कुमार शरण, निर्मल कुमार अम्बष्ट, गोपाल सिंह, मनीष कुमार और (सुश्री) पल्लवी

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन् ने दिया ।

मु. न्या. बालाकृष्णन् – इन रिट याचिकाओं में हमसे निर्वाचित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के गठन के लिए विहित आरक्षण नीति के कुछ पहलुओं की सांविधानिक विधिमान्यता की परीक्षा करने की अपेक्षा की गई है । विशिष्टतया, दलीलें उन उपबंधों पर केन्द्रित की गई हैं जिनमें पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करना समर्थ बनाया गया है और जिनमें निर्वाचित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करना अनुध्यात है । इन उपबंधों को इसलिए चुनौती दी गई है कि वे समता और लोकतंत्र के उन सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हैं जिन्हें 'मूलभूत ढांचे' के सिद्धांत का एक भाग समझा जाता है ।

2. संविधान (तिहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'तिहत्तरवां संशोधन' कहा गया है) और संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'चौहत्तरवां संशोधन' कहा गया है) द्वारा संविधान के पाठ में भाग 9 और भाग 9क अंतःस्थापित किए गए थे जिनके द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, अर्थात् पंचायतों (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और नगरपालिकाओं (नगरीय क्षेत्रों के लिए) की शक्तियों, उनके गठन और कृत्यों पर विचार किया गया है । लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण, नागरिकों और राज्य के तंत्रों के बीच बृहत्तर जवाबदेही और कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण जैसे उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए इन सांविधानिक संशोधनों में निर्वाचित स्थानीय निकायों का एक क्रमबद्ध ढांचा अनुध्यात था । ग्रामीण क्षेत्रों की बाबत भाग 9 में तीन सोपान वाली पंचायतों की संकल्पना की गई है, अर्थात् (प्रत्येक ग्राम या छोटे ग्रामों के समूह के लिए) 'ग्राम पंचायत', (खंड स्तर पर) 'पंचायत समिति' और (जिला स्तर पर) 'जिला परिषद्' । नगरीय क्षेत्रों के लिए, भाग 9क में (एक ग्रामीण क्षेत्र से एक नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्रों के लिए) 'नगर पंचायतों', (लघुतर नगरीय क्षेत्रों के लिए) 'नगर परिषदों' और (बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों के लिए) 'नगर निगमों' का गठन विहित है ।

3. विधायी आशय का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए तिहत्तरवें संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन में से निम्नलिखित उद्धरण के प्रतिनिर्देश करना लाभप्रद होगा :–

> "यद्यपि पंचायत राज संस्थाएं लंबे समय से अस्तित्व में हैं तथापि, यह पाया गया है कि ये संस्थाएं अनेक कारणों से, जिनमें नियमित निर्वाचनों का अभाव, दीर्घकालीन अधिक्रमण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों का

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शक्तियों का अपर्याप्त न्यागमन और वित्तीय संसाधनों की कमी भी है, लोगों के व्यवहार्य और प्रतिक्रियाशील निकायों की हैसियत और गरिमा अर्जित करने में समर्थ नहीं रही हैं।

(2) संविधान के अनुच्छेद 40 में, जिसमें राज्य की नीति के निदेशक तत्व प्रतिष्ठापित किए गए हैं, यह अधिकथित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। पिछले चालीस वर्षों के अनुभव के प्रकाश में और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए जो पाई गई हैं, यह समझा गया है कि पंचायत राज संस्थाओं को निश्चितता, सततता और बल प्रदान करने के लिए संविधान में उनके कतिपय मूलभूत और आवश्यक लक्षण प्रतिष्ठापित करना अत्यावश्यक है।

(3) तदनुसार, संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया भाग जोड़ने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों के लिए उपबंध हो : किसी ग्राम या ग्राम-समूह में ग्राम सभा; ग्राम और अन्य स्तर या स्तरों पर पंचायतों का गठन; ग्राम और मध्यवर्ती स्तर पर, यदि कोई है, सभी स्थानों और उन स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन कराना; प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में पंचायतों की सदस्यता और अध्यक्षों के पद के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए स्थान आरक्षित करना; स्त्रियों के लिए कम से कम एक-तिहाई स्थान आरक्षित करना; पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल नियत करना और किसी पंचायत के निष्प्रभावी होने की दशा में छह मास की कालावधि के भीतर निर्वाचन कराना; ....”

इसी प्रकार, हम चौहत्तरवें संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन में से निम्नलिखित उद्धरणों के प्रतिनिर्देश कर सकते हैं :—

1. अनेक राज्यों में, स्थानीय निकाय विभिन्न कारणों से, जिनमें नियमित निर्वाचन कराने में असफलता, दीर्घकालीन अधिक्रमण और शक्तियों और कृत्यों का अपर्याप्त न्यागमन भी है, कमजोर और अप्रभावी हो गए हैं। परिणामस्वरूप, नगरीय स्थानीय निकाय,

स्वशासन की गुंजायमान लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं हैं ।

2. इन अपर्याप्ताओं को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक समझा गया है कि नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित उपबंधों को, विशेष रूप से निम्नलिखित कारणों से संविधान में शामिल किया जाए –

(i) राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच –

(क) कृत्यों और कराधान शक्तियों ; और

(ख) राजस्व प्रभाजन की व्यवस्था

की बाबत संबंध को दृढ़ आधार प्रदान करना

(ii) नियमित निर्वाचनों का संचालन सुनिश्चित करना,

(iii) अधिक्रमण की दशा में समय पर निर्वाचन सुनिश्चित करना, और

(iv) कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का उपबंध करना ।

3. तदनुसार, संविधान में निम्नलिखित के लिए उपबंध करने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित एक नया भाग जोड़ने का प्रस्ताव है –

(क) तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन –

(i) उन क्षेत्रों के लिए जो कि किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत है,

(ii) लघुतर नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर परिषद्,

(iii) बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम ।

....

(ङ) प्रत्येक नगरपालिका में स्थानों का आरक्षण –

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में जिसमें से कम से कम एक-तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए होंगे ; .....”

4. याचियों और प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई दलीलों पर प्रकाश डालने और उन पर विचार करने से पूर्व उन सांविधानिक उपबंधों का सर्वेक्षण करना लाभप्रद होगा जिन्हें प्रश्नगत किया गया है । परस्पर-विरोधी दलीलों का संबंध अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4), जिनमें अध्यक्ष के पदों का आरक्षण अनुध्यात है तथा अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) से है जिनमें पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करना समर्थ बनाया गया है । पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की बाबत अनुच्छेद 243-घ निम्नलिखित रूप में है :-

"**अनुच्छेद 243-घ स्थानों का आरक्षण** – (1) प्रत्येक पंचायत में –

(क) अनुसूचित जातियों; और

(ख) अनुसूचित जनजातियों,

के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जा सकेंगे ।

(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे :

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे :

परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी ।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

इसी प्रकार, नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243-न में अनुध्यात आरक्षण नीति द्वारा मार्गदर्शित होता है :

243-न. **स्थानों का आरक्षण** – (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूंचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन

क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उपबंधित करे ।

(5) खंड (1) और खंड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

5. अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम निर्वाचित स्थानीय निकायों के गठन में समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों का ऋजु प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है जिससे कि समाज के पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण में योगदान किया जा सके । इस नीति को अग्रसर करने का बेहतर साधन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में स्थानों और अध्यक्षों के पदों को आरक्षित रखना है ।

- अनुच्छेद 243-घ(1) और अनुच्छेद 243-न(1) सदृश हैं चूंकि उनमें यह अधिकथित है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण इन प्रवर्गों की जनसंख्या और प्रश्नगत क्षेत्र की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात पर आधारित होना चाहिए । यह कहना अनावश्यक है कि राज्य सरकारें आनुभविक आंकड़ों, जैसे अन्य पद्धतियों द्वारा जनसंख्या सर्वेक्षणों के आधार पर ऐसे आरक्षणों की सीमा अवधारित करने के लिए सशक्त हैं और इसके लिए वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं ।

- अनुच्छेद 243-घ(2) और अनुच्छेद 243-न(2) में इसके आगे यह उपबंध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों के पूल में से कम से कम ऐसे एक-तिहाई स्थान उन प्रवर्गों की स्त्रियों के लिए आरक्षित होने चाहिएं । अतः, एक ओर स्त्रियों के पक्ष में और दूसरी ओर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किए जाने वाले आरक्षणों के बीच भेद है ।

- स्त्रियों के पक्ष में आरक्षणों की बाबत अनुच्छेद 243-घ(3) और अनुच्छेद 243-न(3) में यह अधिकथित है कि स्थानीय निकायों में कुल स्थानों के कम से कम एक-तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होने चाहिएं । प्रत्यक्षदर्शने, यह 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' के सिद्धांत का मूर्त रूप है । यह विचार तभी लागू होता है जब यह पाया जाता है कि कतिपय राज्यक्षेत्र में किसी विशिष्ट वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रारंभ के लिए उपबंध किया जाता है कि जनसंख्या के इस वर्ग को समय के साथ-साथ पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

- अध्यक्ष के पदों के संबंध में, अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) राज्य विधान मंडलों को इन पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षित करने के लिए समर्थ बनाते हैं । पंचायतों की दशा में, अनुच्छेद 243-घ(4) के प्रथम परन्तुक में यह कहा गया है कि संपूर्ण राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षित अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या इन प्रवर्गों की जनसंख्या और कुल जनसंख्या के बीच अनुपात पर आधारित होनी चाहिए । किसी संपूर्ण राज्य में पंचायतों के प्रत्येक

स्तर पर अध्यक्षों के सभी पदों को निर्देश का आधार मानते हुए अनुच्छेद 243-घ(4) के द्वितीय परन्तुक में यह कहा गया है कि इन पदों के एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होने चाहिएं । अनुच्छेद 243-घ(4) के तीसरे परन्तुक में यह अधिकथित है कि उक्त खंड के अधीन आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम में आबंटित की जाएगी । चक्रानुक्रम की नीति किसी विशिष्ट पद को स्थायी तौर पर आरक्षित करने की संभावना के विरुद्ध एक सुरक्षोपाय है । यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पंचायतों के लिए आरक्षण नीति के विपरीत अनुच्छेद 243-न(4) में नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण को मार्गदर्शित करने वाला तुलनीय परन्तुक नहीं है । अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न में विहित अन्यथा सदृश स्कीमों के बीच यही एक उल्लेखनीय विभेद है ।

- अनुच्छेद 243-घ(5) और अनुच्छेद 243-न(5) का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, इन दोनों उपबंधों में यह उपबंधित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के पक्ष में स्थानों और अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण अनुच्छेद 334 के अधीन अनुध्यात अवधि के लिए प्रवर्तित रहेगा । यहां इस बात पर अवश्य ही जोर दिया जाना चाहिए कि स्त्रियों के पक्ष में किए गए आरक्षणों के लिए ऐसी कोई समय-सीमा नहीं है जिससे यह विवक्षित होता हो कि वे स्थायी तौर पर प्रवर्तन में रहेंगे ।

- अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) में 'पिछड़े वर्ग के नागरिकों' के पक्ष में स्थान तथा अध्यक्ष के पद आरक्षित करने संबंधी राज्य विधान मंडलों की शक्ति अनुध्यात है । ऊपर उल्लिखित उपबंधों के विपरीत, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में आरक्षण के संबंध में हैं, अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) में आरक्षण की मात्रा के संबंध में स्पष्ट रूप से कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया है । किसी स्पष्ट मापदंड या सीमा के अभाव में यह धारणा की जा सकती है कि अनुच्छेद 243-घ(6) के अधीन अनुध्यात आरक्षण नीतियां साधारणतया आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मानक द्वारा मार्गदर्शित होंगी ।

6. उन निवेदनों को ध्यान में रखते हुए जिनकी व्याख्या पश्चात्वर्ती पैराओं में की गई है, इस मामले में विवादास्पद मुद्दे निम्नलिखित रीति में विरचित किए जा सकते हैं :–

(i) क्या अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) सांविधानिक रूप से विधिमान्य हैं चूंकि इनमें क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं में स्थानों और अध्यक्ष के पदों का अधिभोग करने के प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करना समर्थ बनाया गया है ?

(ii) क्या अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) सांविधानिक रूप से विधिमान्य हैं चूंकि इनमें क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण करना समर्थ बनाया गया है ?

याचियों की ओर से किए गए निवेदन

7. 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं. 356 में, याचियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एम. रामा जॉयस ने आरंभ में अनुच्छेद 243-घ के खंड (2) से खंड (6) तथा अनुच्छेद 243-न के खंड (2) से खंड (6) की सांविधानिकता को चुनौती दी थी । इन खंडों को कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम, 1993 के कुछ ऐसे उपबंधों के साथ चुनौती दी गई थी जिनमें अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध किए गए थे । उस कानून की आक्षेपित धाराओं में पंचायतों में 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, 3 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, 33 प्रतिशत स्थान स्त्रियों के पक्ष में और 33 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षित किए गए थे (ग्राम पंचायतों के लिए धारा 5, तालुक पंचायतों के लिए धारा 123 और जिला पंचायतों के लिए धारा 162) । पंचायतों में अध्यक्ष के पद राज्य में अध्यक्ष के पदों के संपूर्ण पूल को निर्देश के ढांचे में रखते हुए इसी अनुपात में आरक्षित किए गए थे (ग्राम पंचायतों के लिए धारा 44, तालुक पंचायतों के लिए धारा 138 और जिला पंचायतों के लिए धारा 177) । इसके पश्चात्, चुनौती की परिधि को कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964 [उक्त अधिनियम की धारा 11, 14(2)(क) और धारा 352(5)] और कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 (उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 10) के अधीन स्थानों और अध्यक्ष के पदों पर स्त्रियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण तक विस्तारित किया गया ।

8. याचियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जैसा कि क्रमशः अनुच्छेद 243-घ(1) और अनुच्छेद 243-न(1) द्वारा अनुध्यात है, स्थानों के आनुपातिक आरक्षण के संबंध में आक्षेप नहीं किया। यह कथन किया गया था कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण संविधान निर्माताओं के आशय से संगत थे चूंकि इन समूहों के पक्ष में आरक्षण का उपबंध लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के गठन की बाबत किया गया है (अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के अधीन)। तथापि, याचियों ने अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न के अधीन अनुध्यात आरक्षण नीति के अन्य पहलुओं के विरुद्ध जोरदार आक्षेप किए। आरंभ में, उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में स्थानों के उस आरक्षण को चुनौती दी थी, जो कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में अनुच्छेद 243-घ(2) और (3) द्वारा और नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में अनुच्छेद 243-न(2) और (3) द्वारा समर्थित है। तथापि, इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान इस चुनौती को छोड़ दिया गया था और याचियों के तर्कों का जोर निम्नलिखित दो पहलुओं की ओर था :–

- प्रथमतः, अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) के विरुद्ध आक्षेप किए गए थे चूंकि उनमें पिछडे वर्गों के पक्ष में स्थानों और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण ऐसे किसी मार्गदर्शन के बिना समर्थ बनाया गया है कि इन फायदाग्राहियों की पहचान कैसे की जाए और आरक्षण की मात्रा कितनी हो।

- द्वितीयतः, यह दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) के अधीन अनुध्यात रीति में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ये आरक्षण चक्रानुक्रम के आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं अथवा नहीं और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इसके फायदाग्राही अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और स्त्रियां हैं अथवा नहीं, असांविधानिक है। यह आक्षेप निर्वाचित स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित रखने के सिद्धांत के ही विरुद्ध था।

9. याचियों के तर्कों में सामान्य आधार यह था कि ये उपबंध, जो कि संविधान में तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे, समता, लोकतंत्र और बंधुत्व जैसे उन सिद्धांतों के अतिक्रमणकारी हैं जो कि 'मूलभूत ढांचे' के सिद्धांत के भाग हैं। **आई. आर. कोयल्हो**

बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले विनिश्चय में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे सांविधानिक संशोधन जो कि नवीं अनुसूची में **केशवानंद भारती**[2] वाले विनिश्चय के पश्चात् रखे गए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त नहीं हैं । यद्यपि, इस बारे में कुछ अनिश्चितता है कि सांविधानिक संशोधनों की भाग 3 में प्रगणित मूल अधिकारों के संबंध में संवीक्षा की जा सकती है अथवा नहीं तथापि, समता, लोकतंत्र और बंधुत्व जैसे सिद्धांत के आधार पर उनकी संवीक्षा करने में कोई रुकावट नहीं है चूंकि इन सभी को हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्थान प्राप्त है । चूंकि याची ने स्त्रियों के पक्ष में स्थानों के आरक्षण के विरुद्ध दी गई चुनौती का त्याग कर दिया है इसलिए उस पहलू से संबंधित निवेदनों की व्याख्या करना आवश्यक नहीं होगा ।

10. इस बात पर जोर दिया गया था कि कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम, 1993 में अंतर्विष्ट आरक्षण नीति में पंचायतों में कुल मिलाकर लगभग 84 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का उपबंध है जो कि अत्यधिक है और समता के खंड का अतिक्रमणकारी है । विशिष्टतया पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के संबंध में यह दलील दी गई थी कि वह 'युक्तियुक्त वर्गीकरण' की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और इसी प्रकार वह अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है । उन जाति समूहों का उल्लेख करते हुए जिन्हें कर्नाटक राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यह तर्क दिया गया था कि भले ही उन्हें सामाजिक-आर्थिक अर्थों में पिछड़े हुए मान लिया जाए तो भी इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उन्हें पहले ही अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त है । वास्तव में, चिन्नप्पा रेड्डी आयोग रिपोर्ट (1990) के निष्कर्षों से यह दर्शित होता है कि कर्नाटक से निर्वाचित अधिकांश संसद् सदस्य और विधान सभा सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के हैं । इस पृष्ठभूमि में, आरक्षण के तौर पर अधिमानी व्यवहार के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोई बोधगम्य कसौटी नहीं थी । अनुच्छेद 16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों के लिए किए जाने वाले आरक्षण के साथ सादृश्यता दिखाई गई थी जिसमें पिछड़ेपन तथा फायदाग्राही समूह के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की पूर्वधारणा की गई है ।

11. इसके आगे इस बात पर जोर दिया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण एकमात्र रूप से जाति के आधारों पर था और इस

---

[1] (2007) 2 एस. सी. सी. 1.

[2] [1973] 2 उम. नि. प. 159 = (1973) 4 एस. सी. सी. 425.

कारण वह संविधान के अनुच्छेद 15 में पाए जाने वाले भेदभाव-रहित खंड का अतिक्रमणकारी है । इसके अलावा यह सुझाव दिया गया था कि जिन अन्य पिछड़े वर्ग समूहों को पहले ही अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त है उनके पक्ष में आरक्षण देने से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने संबंधी तथाकथित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । विद्वान ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एम. रामा जॉयस ने एक ओर निर्वाचनों के मामले में दिए जाने वाले आरक्षण और दूसरी ओर शिक्षा और नियोजन के मामले में दिए जाने वाले आरक्षण के संदर्भ के बीच विभेद किया । यह तर्क दिया गया था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों के व्यक्तियों [अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) की बाबत] और कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों [अनुच्छेद 16(4) की बाबत] को विधिसम्मत रूप से आरक्षण दिया जाता है चूंकि जब वे क्रमशः शैक्षिक पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों में चयन के लिए प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वे अलाभप्रद स्थिति में होते हैं । यह अलाभप्रद स्थिति सामाजिक और आर्थिक अर्थों में उनके पिछड़ेपन से जुड़ी है जिसके कारण इन समूहों के व्यक्तियों के पास वे संसाधन या जागरुकता नहीं होती जो कि उच्चतर शिक्षा या लोक नियोजन का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है । तथापि, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से संबंधित तथ्य आवश्यक रूप से राजनैतिक भागीदारी में रुकावट के रूप में कार्य नहीं करता । श्री जॉयस ने 'चयन' और 'निर्वाचन' के बीच विभेद पर जोर देते हुए यह दलील दी कि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के फायदों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आनुभविक निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि उनका राजनैतिक संगठन पहले ही काफी बड़ा है । इस तथ्य के अलावा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य पिछड़े वर्गों का विधान मंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यह दलील दी गई थी कि आर्थिक पिछड़ेपन को राजनैतिक पिछड़ेपन से नहीं मिलाया जाना चाहिए । ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है निर्वाचन के क्षेत्र में निर्धनतम पृष्ठभूमि वाला कोई अभ्यर्थी समृद्ध पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों का मुकाबला करते समय अनुपाततः अलाभप्रद स्थिति में हो ।

12. यह दलील श्री दी गई थी अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थान और अध्यक्ष के पद आरक्षित रखना संविधान निर्माताओं के आशय से अन्यायोचित विचलन करना था । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संविधान निर्माताओं ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण

के फायदे प्रदान किए (अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के अधीन) जो कि अनुच्छेद 334 के अनुसार समयबद्ध होते हैं । इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, याचियों ने यह दलील दी कि निर्माताओं ने अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों द्वारा झेली जा रही ऐतिहासिक अलाभप्रद स्थिति से निपटने के लिए प्रतिपूरक विभेद की प्रकृति के ये अध्युपाय समाविष्ट किए थे । तथापि, यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि अन्य पिछड़े वर्ग तुलनात्मक रूप से उतनी अलाभप्रद स्थिति में रहे थे विशेषकर इसलिए चूंकि पिछड़ेपन की विद्यमानता के बारे में कोई अकाट्य आनुभविक निष्कर्ष नहीं थे और यह कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं थी, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन अनुध्यात है । इस बात पर जोर दिया गया था कि चूंकि निर्माताओं ने वर्ष 1950 में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए स्पष्टतः उपबंध नहीं किया था इसलिए उन्हें वर्ष 1993 में सांविधानिक संशोधनों के तौर पर पुरःस्थापित करना अमान्य था ।

13. अगला विवाद आक्षेपित राज्य विधानों द्वारा प्रदत्त आरक्षण के प्रयोजनों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान में बरती जाने वाली अधिक उदारता के संबंध में है । यह दलील दी गई थी कि कोई भी अन्य पिछड़े वर्गों के सूचीबद्ध समूहों में से भी कोई भी समस्त समूह के संबंध में एक ही प्रकार के पिछड़ेपन की कल्पना नहीं कर सकता । इन समूहों के भीतर कुछ ऐसे उप-वर्ग होना अवश्यंभावी है जो कि अनुपाततः बेहतर स्थिति में है । तथापि, अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) द्वारा जिन आरक्षणों के लिए समर्थ बनाया गया है उनमें 'क्रीमी लेयर' को उस रीति में अपवर्जित करना अनुध्यात नहीं है जिस रीति में क्रमशः उच्चतर शिक्षा [अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5)] और लोक नियोजन [अनुच्छेद 16(4), (4क) और (4ख)] के संदर्भ में आरक्षणों के लिए विहित किया गया है । क्रीमी लेयर को अपवर्जित न करने से यह आशंका उत्पन्न होती है कि ये फायदे आशयित फायदाग्राहियों के सीमित वर्ग द्वारा लिए जाएंगे और इससे प्रारंभ में ही आरक्षण नीति के उद्देश्य ही विफल हो जाएंगे । हमें इस संभावना के प्रति सचेत किया गया था कि राज्य सरकारें, सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ेपन में सुधार करने की बजाय अन्य पिछड़े वर्गों के विशिष्ट समूहों से राजनैतिक समर्थन प्राप्त करने के माध्यम के रूप में उनके पक्ष में आरक्षण फायदे प्रदान कर सकती हैं । इस दलील के समर्थन में यह इंगित किया गया था कि कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम में

आरक्षण के लिए जो उपबंध किए गए थे वे पिछले न्यायिक विनिश्चयों में सामुदायिक आरक्षण के लिए विहित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक थे । (**एम. आर. बालाजी** बनाम **मैसूर राज्य**[1]; **इंदिरा साहनी** बनाम **भारत संघ**[2] वाले मामले देखिए)

14. निर्वाचित स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पदों की बाबत यह दलील दी गई थी कि वे पद एकल स्वरूप के हैं और उन्हें आरक्षित करना शत-प्रतिशत आरक्षण की कोटि में आता है और इससे समता के खंड का अतिक्रमण होता है । आक्षेप अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने के सिद्धांत के ही विरुद्ध था भले ही उसमें फायदाग्राहियों की पहचान कर ली जाए और तब भी जब इन पदों को चक्रानुक्रम द्वारा आरक्षित किया जाता है । इस तर्क को उन पिछले विनिश्चयों के प्रति निर्देश करके और भी पुष्ट किया गया था जिनमें लोक नियोजन के संदर्भ में एकल पद पर आरक्षण विखंडित कर दिया गया है [**स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान** बनाम **के. एल. नरसिंहन**[3] वाला मामला देखिए] । इसके अलावा यह दलील दी गई थी कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पद कार्यपालक पद हैं और उन्हें आरक्षित करना एक खतरनाक नज़ीर बन जाएगी जिसके परिणामस्वरूप अंततः सरकार के उच्चतर स्तरों पर कार्यपालक पदों पर आरक्षण किया जा सकेगा । इस बात पर जोर दिया गया था कि जो व्यक्ति अध्यक्ष के आरक्षित पदों को धारण करते हैं उनके द्वारा संपूर्ण स्थानीय समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करने की बजाय अपने स्वयं के समूहों के संकीर्ण हितों को पूरा करने की अधिक संभावना होती है ।

15. श्री एम. रामा जॉयस ने अपनी विस्तृत दलील के पश्चात्, जिसमें समता के खंड का अवलंब लिया गया था, हमारा ध्यान उन दलीलों के प्रति आकृष्ट किया जिनमें लोकतंत्र के सिद्धांत का अवलंब लिया गया था । यह दलील दी गई थी कि अत्यधिक आरक्षण अनारक्षित प्रवर्गों के व्यक्तियों की राजनैतिक भागीदारी के अधिकारों पर अऋजु परिसीमाएं लगाता है । विशेष रूप से, स्थानों और अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने से अन्य पहलुओं के साथ-साथ मतदान करने के अधिकार, अपनी पसन्द के अभ्यर्थियों का

---

[1] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649.
[2] (1992) सप्ली. 3 एस. सी. सी. 217.
[3] (1997) 6 एस. सी. सी. 283.

समर्थन करने के अधिकार और निर्वाचन लड़ने के अधिकार में कमी आई है । यह दलील दी गई थी कि ऐसे निर्बंधन 'सार्वभौम वयस्क मताधिकार' (अनुच्छेद 326 के अधीन) के सिद्धांत के विरुद्ध हैं जिसमें यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो, प्रत्येक व्यष्टि द्वारा दिए गए मत को दिए जाने वाले महत्व में समानता होनी चाहिए । इन अर्थों में आरक्षण, सामान्य प्रवर्ग के व्यक्तियों की तुलना में फायदाग्राही समूहों के मतदाताओं और अभ्यर्थियों को अधिक महत्व देकर निर्वाचन प्रक्रिया को विकृत करने के लिए है । जहां तक अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण का संबंध है, याचियों ने ऐसी स्थिति का वर्णन किया है, जहां किसी विशिष्ट ग्राम में आंरक्षित प्रवर्ग के व्यक्तियों की संख्या बहुत कम हो सकती है और वहां मतदाताओं को आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के कार्य-निष्पादन से असंतुष्ट होने के बावजूद उन्हें पुनः निर्वाचित करने के लिए बाध्य करना होगा ।

16. अंततः, श्री एम. रामा जॉयस ने यह दलील दी कि निर्वाचन के क्षेत्र में आरक्षण देने के परिणामस्वरूप स्थानीय समुदाय के स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक फूट पड़ेगी । भविष्य में जाति के आधार पर तैयार किए गए आरक्षण के राजनैतिक भाई-भतीजावाद का हथियार बनने की संभावना है और इसके द्वारा लोगों में रोष पैदा होगा । यह स्पष्ट रूप से नागरिकों के बीच बंधुता की भावना को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्तावना के उद्देश्य के विरोध में है । याची के निवेदन में यह तर्क दिया गया है कि राजनैतिक भागीदारी के माध्यम से कमजोर वर्गों को सशक्त करने का उद्देश्य अच्छी तरह पूरा होगा यदि राजनैतिक दलों द्वारा इन वर्गों के अधिकतर अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है । इन निवेदनों के आधार पर 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं. 356 में याचियों ने अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) को विखंडित करने की प्रार्थना की है चूंकि इन अनुच्छेदों द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण समर्थ बनाया गया है तथा अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) को विखंडित करने की प्रार्थना भी की है जिनमें पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थान और अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण समर्थ बनाया गया है । इस संबंध में याचियों ने आक्षेपित राज्य विधानों को उस सीमा तक अविधिमान्य करने की ईप्सा भी की है जहां तक उनमें पिछड़े वर्गों के पक्ष में अत्यधिक आरक्षण और अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने के उपबंध हैं ।

17. 2005 की रिट याचिका सं. 517 में, याचियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान ज्येष्ठ काउन्सेल श्री सलमान खुर्शीद ने अपनी दलीलों को दो पहलुओं तक सीमित रखा । उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के संबंध में यह दलील दी गई है कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए । अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) की सांविधानिक विधिमान्यता को कोई चुनौती नहीं दी गई है चूंकि वे मात्र समर्थकारी उपबंध हैं । तथापि, निर्वाचित स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण के विरुद्ध याचियों के आक्षेपों की बाबत उनके बीच सहमति है । अतः, 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 517 में याचियों ने अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) की सांविधानिक विधिमान्यता को भी चुनौती दी है ।

18. विनिर्दिष्ट चुनौती सुसंगत नियमों के साथ पठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 11क और धारा 12 तथा सुसंगत नियमों के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6क, 7क, 18क और 19क के विरुद्ध है । शिकायत इस तथ्य के विरुद्ध की गई है कि इन राज्य विधानों के अधीन पंचायतों में 27 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं हालांकि आनुभविक आंकड़ों से यह उपदर्शित होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की संपूर्ण जनसंख्या में लगभग 59 प्रतिशत व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग प्रवर्ग के हैं । यह दलील दी गई है कि यह उस समुदाय के पक्ष में, जो कि पहले से बहुमत में है, अत्यधिक आरक्षण का एक स्पष्ट मामला है । कर्नाटक राज्य के संबंध में दिए गए तर्कों के समरूप यह दलील देने के लिए युक्तियुक्त रूप से यह तर्क तैयार किया जा सकता है कि निर्वाचित स्थानीय निकायों में उन समुदायों के लिए स्थान आरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्हें राजनैतिक क्षेत्र में पहले ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और जिन्हें राजनैतिक भागीदारी के संबंध में किसी गंभीर रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता । इसके अलावा, यह दलील दी गई थी कि पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में 'क्रीमी लेयर' को अपवर्जित करने का कोई उपबंध नहीं है । इस संबंध में, श्री सलमान खुर्शीद ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन न हो, राज्य विधानों को उपांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया । यह दलील दी गई थी कि आरक्षण संबंधी नीतियां या तो ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए प्रतिपूरक विभेद

के स्वरूप की होनी चाहिए या कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षात्मक विभेद के स्वरूप की होनी चाहिएं । तथापि, उन्हें प्रतिवर्ती विभेद के ऐसे उपकरण नहीं बनने देना चाहिए जो उन व्यक्तियों के अधिकारों को कम करते हैं जो आरक्षित प्रवर्गों के नहीं हैं ।

19. तथापि, मुख्य आक्षेप अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने के सिद्धांत के ही विरुद्ध है चाहे वह आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों या अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में क्यों न हों । लोक नियोजन में, एकल पदों से सादृश्यता व्यक्त करते हुए यह दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4), अनुच्छेद 16(4) के विरोध में है चूंकि पश्चात्वर्ती अनुच्छेद में एकल पदों को आरक्षित करना अनुध्यात नहीं है । स्थानीय स्वशासन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के संबंध में यह दलील दी गई थी कि अध्यक्ष के पदों के आरक्षण से सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकारों पर असम्यक् निर्बंधन लगाए गए हैं । यह तर्क दिया गया था कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में के अभ्यर्थियों की तुलना में, जो कि भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, स्थानीय निकायों के लिए होने वाले निर्वाचनों में अभ्यर्थी साधारणतया उन क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में निर्वाचन नहीं लड़ेंगे जहां वे मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं । यदि ऐसा प्रवास बारंबार होता है तो इससे स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य ही विफल हो जाएंगे चूंकि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त करना है जो स्थानीय समुदायों के कल्याण में पर्याप्त रूप से हितबद्ध हैं और उनके प्रति जवाबदेह हैं । अतः, पंचायतों में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने का प्रभाव अनारक्षित प्रवर्गों के व्यक्तियों को इन निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने से असम्यक् रूप से वंचित करना हो सकता है । याचियों ने अपनी दलीलों के समर्थन में उच्च न्यायालय के कुछ विनिश्चय उद्धृत किए हैं जिनमें पंचायतों में अध्यक्ष के पदों का आरक्षण विखंडित किया गया है, अर्थात् **जनार्दन पासवान** बनाम **बिहार राज्य**[1] और **कृष्ण कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य**[2] ।

20. यह दलील दी गई थी कि 'प्रतिवर्ती विभेद', जो कि स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों के संदर्भ में होता है, उससे अधिक उच्चतर मात्रा में है जो कि शिक्षा और नियोजन के मामले में प्रकट होता है । यह तर्क दिया

---

[1] ए. आई. आर. 1988 पटना 75.

[2] ए. आई. आर. 1966 पटना 112.

गया था कि शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों पर भर्ती की बाबत जिन मेधावी अभ्यर्थियों को आरक्षण द्वारा विस्थापित किया जाता है उनके पास कम से कम विकल्प तो उपलब्ध होते हैं । तथापि, ऐसे विकल्प उन्हें उपलब्ध नहीं होते हैं जो उन क्षेत्रों में, जहां वे निवास करते हैं, पंचायतों के सदस्य बनने के लिए निर्वाचन लड़ना चाहते हैं । याचियों के दृष्टिकोण से, यह सामान्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों पर न केवल एक अनुचित परिसीमा लगाना है बल्कि एक ऐसा अध्युपाय भी है जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य को विफल करता है ।

21. श्री सलमान खुर्शीद ने इसके आगे यह दलील दी कि न्यायालयों को 'पिछड़े वर्गों के लिए न्याय, अग्रों के लिए साम्या और संपूर्ण प्रणाली के लिए दक्षता' संबंधी प्रायः प्रतियोगी विचारणाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना होता है (**एम. नागराज** बनाम **भारत संघ**[1]) । इस संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में अत्यधिक आरक्षण और पंचायतों में अध्यक्ष पदों के आरक्षण से इन विचारणाओं के बीच वांछित संतुलन बिगड़ जाता है । वास्तव में, याचियों ने भी हमारे समक्ष इस बात पर जोर दिया है कि इस न्यायालय के कुछ पूर्ववर्ती विनिश्चयों पर पुनर्विचार किया जाए जिनमें राजनैतिक भागीदारी संबंधी अधिकारों, जैसे मतदान करने के अधिकार; अभ्यर्थियों को नामनिर्दिष्ट करने के अधिकार और निर्वाचन लड़ने के अधिकार, की प्रास्थिति पर विचार किया गया है । यह स्मरणीय है कि मतदान करने के अधिकार को कानूनी अधिकार न कि मूल अधिकार माना गया है और इसी स्थिति को लगातार पश्चात्वर्ती विनिश्चयों में कायम रखा गया है (**एन. पी. पुन्नुस्वामी** बनाम **रिटर्निंग आफिसर**[2] वाला विनिश्चय देखिए जिसका अनुसरण **ज्योति बसु** बनाम **देवी घोषाल**[3], **मोहन लाल त्रिपाठी** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट राय बरेली**[4], **रमा कांत पांडे** बनाम **भारत संघ**[5] और **कुलदीप नैयर** बनाम **भारत संघ**[6] वाले मामलों में किया गया है) । इससे यह विवक्षित होता है कि राजनैतिक भागीदारी संबंधी अधिकार आत्यांतिक स्वरूप के नहीं हैं और वे कानूनी

---

[1] (2006) 8 एस. सी. सी. 212, पैरा 44.

[2] (1952) एस. सी. सी. 218.

[3] (1982) 1 एस. सी. सी. 691.

[4] (1992) 4 एस. सी. सी. 80.

[5] (1992) 2 एस. सी. सी. 438.

[6] (2006) 7 एस. सी. सी. 1.

नियंत्रणों जैसे, अन्य नियंत्रणों के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उपबंधित नियंत्रणों के अध्यधीन हैं । निस्संदेह, निर्वाचित स्थानीय निकायों में आरक्षण उन व्यक्तियों की राजनैतिक भागीदारी संबंधी अधिकारों पर अवश्य ही निर्बंधन लगाते हैं जो कि आरक्षित प्रवर्गों के नहीं हैं । इस संबंध में, याचियों ने यह दलील दी है कि इस न्यायालय को ऐसे निर्बंधन की युक्तियुक्तता की परीक्षा अबाध और ऋजु निर्वाचन सुनिश्चित करने के उद्देश्य (जैसा कि **इंदिरा गांधी** बनाम **राज नारायण**[1] वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है) तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के विस्तारित बोध के संबंध में करनी चाहिए ।

प्रत्यर्थियों की ओर से किए गए निवेदन

22. चूंकि इस मामले में अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न के कुछ खंडों की सांविधानिकता को चुनौती दी गई है इसलिए उन सभी राज्य सरकारों को सूचनाएं जारी की गई थीं, जिन्होंने तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों की आज्ञा के अनुसार या तो नए विधान अधिनियमित किए थे या विद्यमान विधानों में संशोधन किया था । जबकि इन सभी राज्य सरकारों को इस मामले में प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया गया था किन्तु हमें श्री राजीव धवन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, जो बिहार राज्य की ओर से उपस्थित हुए, श्री दिनेश द्विवेदी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, जो उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित हुए, श्री उदय होल्ला, ज्येष्ठ अधिवक्ता, जो कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित हुए और श्री आर. षणमुगसुन्दरम्, जिन्होंने पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, द्वारा पेश की गई मौखिक दलीलों को सुनने का लाभ मिला । उन विद्वान ज्येष्ठ काउन्सेलों के अलावा, जिन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व किया था, हमने श्री गोपाल सुब्रमण्यम्, अपर महासालिसिटर (अब भारत के महासालिसिटर) को भी सुना, जिन्होंने भारत संघ की ओर से मत व्यक्त किए ।

23. निस्संदेह, प्रत्यर्थियों ने निर्वाचित स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए गए आरक्षणों [अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) के अधीन यथा-अनुध्यात] तथा अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण [अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) द्वारा समर्थित] की सांविधानिक विधिमान्यता का प्रतिवाद किया । सुविधा की दृष्टि से, हम सबसे पहले श्री राजीव धवन, ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों के प्रतिनिर्देश करेंगे,

---

[1] (1975) सप्ली. एस. सी. सी. 1. पैरा 213.

चूंकि उन्हीं दलीलों को अधिकांश उत्तर देने वाले अन्य प्रत्यर्थियों ने अंगीकृत किया । याची की इस दलील के उत्तर में कि आक्षेपित सांविधानिक उपबंध से 'मूलभूत ढांचे' के सिद्धांत के तत्वों का अतिक्रमण हुआ है, श्री राजीव धवन ने यह दलील दी कि मूल ढांचा समग्र रूप से मूल अधिकारों तक सहविस्तारी नहीं है और इसलिए उन सिद्धांतों के आधार पर जो कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) द्वारा समर्थित आरक्षण फायदों के संबंध में तैयार किए गए हैं, अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न की विधिमान्यता की संवीक्षा करना गलत होगा । ऐसे सांविधानिक संशोधन, जिसके द्वारा मूल अधिकारों की परिधि में उपांतरण किया जाता है और मूलभूत ढांचे के निराकरण के बीच विभेद किया गया था । यह इंगित करते हुए कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आरक्षणों का स्वरूप और प्रयोजन शिक्षा और नियोजन में आरक्षण के स्वरूप और प्रयोजन से पूर्णतः भिन्न है, यह दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न का उद्देश्य बुनियादी स्तर पर राजनैतिक प्रतिनिधित्व के मामले में औपचारिक समानता की बजाय सारवान् समानता के आशय को अग्रसर करना है । इस आधार से आरंभ करते हुए कि सांविधानिक संशोधन लोक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह दलील दी गई थी कि सांविधानिक उपबंधों द्वारा जो वर्गीकरण किए जाते हैं उन्हें कानूनी वर्गीकरणों की तुलना में उच्च स्तर का सम्मान मिलना चाहिए । इस मामले में, 'युक्तियुक्त वर्गीकरण' यंत्रवत् लागू नहीं किया जा सकता और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में अंतर्निहित उद्देश्यों, जैसे कि कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण, स्थानीय निकायों में भिन्न-भिन्न समाज के उचित प्रतिनिधित्व और निर्वाचित प्रतिनिधियों और मतदाताओं के बीच अधिक जवाबदेही के प्रति सम्यक् सम्मान बरता जाना चाहिए । प्रत्यर्थियों की दलील यह है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षण के समर्थकारी उपबंध इन उद्देश्यों के अनुरूप हैं और उनके ऊपर न्यायिक पुनर्विलोकन का मापदंड आनुपातिकता से संबंधित होना चाहिए ।

24. इसके आगे यह दलील दी गई थी कि समता खंड का अवलोकन कठोर रीति में नहीं किया जाना चाहिए और इसमें बुनियादी स्तर पर राजनैतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में 'प्रत्याशाओं की समानता' तथा 'परिणामों की समानता' का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । इसका अभिप्राय यह है कि जबकि प्रतिनिधि संस्थाओं में राजनैतिक शक्ति के समान वितरण की प्रत्याशा की जाती है, किन्तु हमें भी इस बात का पता लगाना होगा कि

शक्ति के वितरण का निर्वाचक के लिए सारवान् निष्कर्षों और परिणामों से क्या संबंध है । इस मामले में, हम राजनैतिक अर्थ में समस्तर समानता की विचारणाओं पर विचार कर रहे हैं । हमारे समाज में असमानता के जटिल ढंग के कारण उस समय प्रायः औपचारिक समानता के मापदंड से विचलन करने की आवश्यकता हो सकती है जब राजनैतिक शक्ति के वितरण के बारे में की जाने वाली प्रत्याशाएं सामने आती हैं । सकारात्मक कार्रवाई सारवान् समानता के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए तैयार की जाती है और इस प्रयोजन के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में विद्यमान भेदभाव, अलाभप्रदता और असशक्तीकरण के विद्यमान तरीकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है । यह दलील दी गई थी कि जबकि असमानता के ऐसे ढंगों को प्रायः आनुभविक अध्ययन के माध्यम से अभिनिश्चित करने की ईप्सा की जाती थी किन्तु उसकी विवक्षाओं को समझने के लिए मात्र आंकड़ों पर जोर देना पर्याप्त नहीं होता है । इसलिए, स्थानीय स्वशासन में आरक्षण इसलिए पुरःस्थापित किए गए हैं जिससे कि राज्य की शक्ति का पहले से पिछड़े वर्गों और उन्हें सशक्त करने के लिए भी प्रभावी रूप से प्रभाजन सुनिश्चित हो सके ताकि वे सामाजिक विभेद के विद्यमान तरीकों से मुकाबला करने में समर्थ हो सकें ।

25. श्री राजीव धवन ने इस सैद्धांतिक निरूपण के आधार पर कार्यवाही करते हुए पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए जा रहे आरक्षण तथा अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की सांविधानिक विधिमान्यता का प्रतिवाद किया है । याची के इन तर्कों के उत्तर में कि आरक्षण से सामान्य प्रवर्ग के व्यक्ति के राजनैतिक भागीदारी संबंधी अधिकारों में कमी आई है, यह दलील दी गई थी कि हमें लोकतंत्र के वास्तविक चित्र को, जो कि सामाजिक असमानता के विद्यमान तरीकों के लिए उत्तरदायी है न कि याचियों द्वारा लिए गए औपचारिक चित्र को ध्यान में रखना चाहिए । लोकतंत्र के ऐसे वास्तविक चित्र से उस सकारात्मक कार्रवाई को समर्थन मिलेगा जो कि पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए की जाती है । यद्यपि यह स्वीकार किया गया था कि शिक्षा और नियोजन के संदर्भ में आरक्षण नीतियों के प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों की पहचान करने में काफी अनिश्चितता रही है तथापि, यह दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) मात्र समर्थकारी उपबंध हैं और उन्हें समता खंड का अतिक्रमण करने के कारण विखंडित नहीं किया जा सकता । यह तर्क दिया गया था कि यद्यपि इन उपबंधों में आरक्षण की मात्रा के बारे में कोई

दिशानिर्देश नहीं हैं तथापि, यह अंततः राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे पिछड़ेपन की विद्यमानता की छानबीन करें और तद्नुसार आरक्षण संबंधी फायदे प्रदान करें । उस संबंध में, यह मामला इस बात को स्पष्ट करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है कि क्या 'पिछड़े वर्ग' वाक्यांश, जो कि अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) में प्रकट होता है, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) के अधीन अनुध्यात 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग' या अनुच्छेद 16(4) के अधीन अल्प-प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों तक सहविस्तारी है ।

26. इसके आगे यह दलील दी गई थी कि 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा उन न्यायिक विनिश्चयों में अनुध्यात है जो कि शिक्षा और नियोजन में आरक्षण के संबंध में है । जबकि इसके पीछे जो कारण थे उन्हें बुनियादी स्तर पर राजनैतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र तक आसानी से विस्तारित नहीं किया जा सकता किन्तु यह दलील दी गई थी कि भले ही उन्हें लागू किया जाना था तो भी **इंदिरा साहनी** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय में असाधारण स्थितियों में 50 प्रतिशत मानक का अपवाद अनुध्यात किया गया था । इस दलील के समर्थन में, यह इंगित किया गया था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पांचवें और छठे अनुसूचित क्षेत्रों में अनुज्ञात किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ राज्यों की विधान सभाओं ने ऐसे आरक्षण किए हैं जो कि स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से काफी अधिक हैं । आक्षेपाधीन राज्य विधानों की बाबत यह तर्क दिया गया था कि उनमें से अधिकांश विधानों के अधीन 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा पार नहीं की जाएगी चूंकि इस प्रयोजन के लिए केवल ऊर्ध्वस्थ आरक्षणों को विचार में लिया जाता है (अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सामुदायिक आधारों पर) । यद्यपि निर्वाचित स्थानीय निकायों में स्त्रियों के पक्ष में 33 प्रतिशत आरक्षण है तथापि, वह समस्तर आरक्षण की प्रकृति का है जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वस्थ आरक्षण को काटता है । इस पृष्ठभूमि में, सामान्य प्रवर्ग की स्त्रियों द्वारा जिन स्थानों का उपभोग किया गया है उनकी गणना यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए नहीं की जा सकती कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं ।

27. अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने के सिद्धांत को दी गई चुनौती के उत्तर में यह दलील दी गई है कि वह संरक्षात्मक विभेद की प्रकृति का है । प्रत्यर्थियों ने याचियों की इस दलील का जोरदार खंडन किया है कि

स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पद लोक नियोजन में एकल पदों के समान हैं । इस सादृश्यता को विवादग्रस्त करते हुए यह दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 243-घ(4) के अनुसार, अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण चक्रानुक्रम आधार पर किया जाना है और उसके लिए निर्देश का ढांचा संपूर्ण राज्य में के स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पदों का समस्त पूल आता है । इस पृष्ठभूमि में, अध्यक्ष के पदों को एकल पदों के रूप में विशेषित करना गलत है । इस सुझाव के उत्तर में कि स्थानीय स्वशासन में कार्यपालक पदों पर आरक्षण सरकार के उच्चतर स्तरों पर कार्यपालक पदों के आरक्षण के लिए अग्रगामी साबित हो सकता है, यह कथन किया गया था कि स्थानीय व्यवस्था में लागू विचारणाएं उनसे काफी भिन्न हैं जो कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अभिभावी होती हैं । सरकार के उच्चतर स्तरों पर पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्वाचित प्रतिनिधि, यदि उन्हें असम्यक् दबाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है तो मुख्यधारा वाले राजनैतिक दलों के समर्थन का आश्रय ले सकते हैं । तथापि, स्थानीय स्तर पर असशक्तीकरण, विभेद और अलाभप्रद करने के ढंग काफी व्यापक हैं और कमजोर वर्गों के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण के बिना शासन में प्रभावी अभिव्यक्ति का लाभ प्राप्त करना कठिन होगा ।

28. प्रत्यर्थी की स्थिति का श्री गोपाल सुब्रमण्यम (अब महासालिसिटर) ने भी समर्थन किया । विद्वान महासालिसिटर ने याची के इस तर्क का उत्तर दिया कि संविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधिक संस्थाओं में आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया था और यह कि उन्होंने इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक सीमित रखने का विकल्प अपनाया था (अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के अधीन) । तर्कणा के इस आधार का विरोध करने के लिए यह दलील दी गई थी कि संविधान निर्माताओं द्वारा सम्मिलित किए गए उपबंध पश्चात्वर्ती सांविधानिक संशोधन के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण फायदों का विस्तारण प्रवारित नहीं करते थे । यह इंगित किया गया था कि यद्यपि वर्ष 1993 में अधिनियमित तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सांविधानिक मान्यता दी गई थी तथापि, इस बात का प्राख्यान नहीं किया जा सकता था कि उस समय से पूर्व कमजोर वर्गों के पक्ष में आरक्षण के बारे में सोचा नहीं गया था । तर्कणा के इस आधार का समर्थन करने के लिए भारत संघ की ओर से प्रस्तुत किए गए लिखित निवेदनों में संविधान-पूर्व काल से संविधानोत्तर काल तक स्थानीय स्वशासी संस्थाओं

के विकास का उल्लेख किया गया है । बलवंतराय मेहता समिति रिपोर्ट (1957) और अशोक मेहता समिति रिपोर्ट (1978) की मुख्य सिफारिशों के प्रति निर्देश करने के पश्चात्, जो कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थीं, इस बात पर जोर दिया गया था कि स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का आशय पूर्व में अपवर्जित और अलग-थलग पड़े समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व समर्थ बनाना है । विद्वान महासालिसिटर ने इसके आगे यह दलील दी कि अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न के पीछे जो आशय था वह अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के आशय के समरूप था जिनके द्वारा सारवान् समानता के उद्देश्य को अग्रसर करने की दृष्टि से सकारात्मक कार्रवाई के विभिन्न रूपों को समर्थ बनाया गया था । इस अर्थ में, विद्वान महासालिसिटर ने यह सुझाव देकर एक निश्चित आधार लिया था कि 'पिछड़े वर्ग' वाक्यांश, जो कि अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) में प्रकट होता है, का संबंध अनुच्छेद 15(4) द्वारा समर्थित आरक्षण के प्रयोजन के लिए अभिज्ञात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से होना चाहिए ।

29. विद्वान महासालिसिटर ने उपरोक्त के अलावा, इस न्यायालय के ऐसे अनेक विनिश्चय को उद्धृत किया है जिनमें 'सारवान् समानता' के आशय की परीक्षा की गई थी और उसे विकसित किया गया था जो कि आगे चलकर 'मूलभूत ढांचे' के सिद्धांत के भाग के रूप में अभिज्ञात हुआ । इस संबंध में, निवेदनों की सार यह है कि अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न द्वारा समर्थित आरक्षण नीति अब तक कमजोर पड़े वर्गों की राजनैतिक भागीदारी में वृद्धि करेगी जिसके कारण आगे चल कर उनके कल्याण में योगदान करेगी । ऐसे व्यक्तियों की, जो आरक्षित प्रवर्गों के नहीं हैं, राजनैतिक भागीदारी पर परिसीमाओं के बारे में दिए गए तर्कों के उत्तर में इस बात पर जोर दिया गया था कि मत डालने और निर्वाचन लड़ने के अधिकार मूल अधिकार नहीं हैं और इसलिए उन्हें कानूनी नियंत्रणों के अध्यधीन लाया जा सकता है ।

स्थानीय स्वशासी सरकार के संदर्भ में आरक्षणों का स्वरूप और प्रयोजन उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन में आरक्षणों के स्वरूप और प्रयोजन से भिन्न है ।

30. विवादास्पद मुद्दों पर विचार करने से पूर्व निर्वाचित स्थानीय निकायों में आरक्षण के उपबंधों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण विचारणाओं की परीक्षा करना आवश्यक है । प्रारंभ में, हम श्री राजीव धवन के इस सुझाव

से सहमत हैं कि उन सिद्धांतों को, जो अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) द्वारा अनुध्यात आरक्षण फायदे प्रदत्त करने के लिए तैयार किए गए हैं, अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न द्वारा समर्थित आरक्षणों के संदर्भ में यंत्रवत् लागू नहीं किया जा सकता । इस संबंध में, हम इस प्रतिपादना का समर्थन करते हैं कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न एक सुभिन्न और स्वतंत्र सांविधानिक आधार गठित करते हैं, जिसका स्वरूप और प्रयोजन उन आरक्षण नीतियों से भिन्न है जो कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के अधीन यथा-अनुध्यात क्रमशः उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन की पहुंच में सुधार लाने के लिए तैयार की गई हैं । विनिर्दिष्ट रूप से अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 243-घ के बीच सादृश्यता की अव्यवहार्यता के संबंध में हम **विनायकराव गंगारामजी देशमुख** बनाम **पी. सी. अग्रवाल और अन्य**[1] वाले विनिश्चय के रूप में प्रतिवेदित मुम्बई उच्च न्यायालय के विनिश्चय से सहमत हैं । उस मामले में अंतर्वलित तथ्यात्मक स्थिति ऐसी थी जहां कि पंचायत में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति की महिला के पक्ष में आरक्षित था । इस आरक्षण को कायम रखते हुए, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "अब, तिहत्तरवें और चौहत्तरवें सांविधानिक संशोधनों के पश्चात् स्थानीय निकायों के गठन को सांविधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 243-घ में यह आदिष्ट है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्थान आरक्षित रखा जाए और उक्त अनुच्छेद 243-घ के उप-अनुच्छेद (4) में भी यह निदिष्ट है कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति में आरक्षित रखे जाएंगे जैसा कि उस राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उपबंध करे । इसलिए, स्थानीय निकायों, जैसे ग्राम पंचायत में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) द्वारा शासित नहीं होता है जो कि लोक नियोजन में आरक्षण के बारे में हैं किन्तु वह एक पृथक् सांविधानिक शक्ति द्वारा शासित होता है जो कि ऐसी स्थानीय निकायों में आरक्षण का निदेश देती है ..... ।"

निस्संदेह, हमें इस तथ्य का भान है कि पूर्व में कुछ विनिश्चयों में शिक्षा

---

[1] ए. आई. आर. 1999 मुम्बई 142.

और नियोजन के संबंध में तैयार किए गए सिद्धांत लागू करके स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों की विधिमान्यता की परीक्षा की गई है ।

31. इस संबंध में, हम श्री एम. रामा जॉयस द्वारा किए गए इस एक निवेदन से भागतः सहमत हैं कि उस प्रकृति की अलाभप्रदता की, जो शिक्षा और नियोजन तक पहुंच को निर्बंधित करती है, तुलना आसानी से राजनैतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में की अलाभप्रदता से नहीं की जा सकती । निश्चित रूप से, सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ेपन से आवश्यक रूप से राजनैतिक पिछड़ापन विवक्षित नहीं होता है । तथापि, 'चयन' (शिक्षा और नियोजन की दशा में) और 'निर्वाचन' (राजनैतिक प्रतिनिधित्व की दशा में) के बीच विभेद से संबंधित याची की अवधारणा इसमें अंतर्वलित जटिलताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है । निस्संदेह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात का अवधारण करने के लिए कि शिक्षा और नियोजन तक किसकी पहुंच हो सकती है, योग्यता और दक्षता संबंधी विचारणाओं को सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए जिसे वस्तुपरक रीति में ही मापा जा सकता है । अतः, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्ती साधारणतया परीक्षाओं, साक्षात्कारों या पूर्व कार्य के अवधारण जैसी पद्धतियों के माध्यम से की जाती है । चूंकि यह महसूस किया जाता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदक अन्य आवेदकों के मुकाबले अलाभप्रद स्थिति में होते हैं जब वे इन पद्धतियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए आरक्षण फायदे प्रदान करके ऋजु व्यवहार सृजित करने की ईप्सा की जाती है ।

32. राजनैतिक भागीदारी के क्षेत्र में, इस बात का अवधारण करने का कोई वस्तुपरक पैरामीटर नहीं हो सकता है कि किसी भी स्तर पर प्रतिनिधि संस्थाओं में किस व्यक्ति के निर्वाचित हो जाने की संभावना अधिक है । मतदाताओं के विकल्प किसी अभ्यर्थी की योग्यता और दक्षता के वस्तुपरक अवधारण द्वारा मार्गदर्शित नहीं होते हैं । इसके बजाय, उन्हें आत्मपरक कारणों, जैसे अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थी की समर्थन प्राप्त करने की योग्यता, उसका पिछला सेवा अभिलेख, प्रकट विचारधारा और संगठित समूहों से सहबद्धता से आकार मिलता है । इस संदर्भ में, यह पूर्णतः संभव है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों के अभ्यर्थी इन आत्मपरक योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं और सापेक्ष रूप से बड़े समूहों के अभ्यर्थियों के मुकाबले निर्वाचन जीत सकते हैं । तथापि, सभी परिस्थितियों में ऐसी स्थिति की उपधारणा नहीं की जा सकती है ।

इस बात की पूर्णतः कल्पना की जा सकती है कि कुछ स्थानीय परिस्थितियों में सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ापन प्रभावी राजनैतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में बाधा के रूप में भी कार्य कर सकता है । जब स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ ऋजु व्यवहार सृजित करने की बात आती है तो आरक्षण फायदे प्रदान करने के लिए सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ापन निश्चित रूप से एक मापदंड हो सकता है ।

33. यह स्मरणीय है कि उस प्रकृति के फायदों के बीच भी, जो एक ओर शिक्षा और नियोजन सुलभ कराने से और दूसरी ओर बुनियादी स्तर पर राजनैतिक भागीदारी से उद्भूत होते हैं, एक अंतर्निहित अंतर है । जबकि उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन सुलभ कराने से व्यष्टिक फायदाग्राहियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की संभावना बढ़ती है किन्तु स्थानीय स्वशासन में भागीदारी उस समुदाय के लिए, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि का संबंध है, सशक्तीकरण के अधिक आसन्न अध्युपाय के रूप में आशयित है । लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य न केवल शासन को लोगों के निकट लाना है बल्कि इसे और अधिक सहयोगी, अंतर्वेशी और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जवाबदेह बनाना है । इस आशय से स्थानीय स्वशासन में आरक्षण का आशय न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को बल्कि समस्त समुदाय को सीधा फायदा पहुंचाना है । यही कारण है कि राजनैतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में क्रीमी लेयर का अपवर्जन नहीं हो सकता है । उन समूहों के भीतर, जो कि आरक्षण नीतियों के आशयित फायदाग्राही हैं, व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत में असमानताएं होना अवश्यंभावी है । जबकि क्रीमी लेयर का अपवर्जन शिक्षा और नियोजन में आरक्षण के संदर्भ में साध्य तथा वांछनीय हो सकता है किन्तु यही सिद्धांत स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है । पंचायतों के स्तर पर, निर्वाचित व्यक्ति को सशक्त करना कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने संबंधी व्यापक उद्देश्य को अग्रसर करने का केवल एक माध्यम है । अतः, आशयित फायदाग्राहियों में से सापेक्ष रूप से अधिक संपन्न व्यक्तियों को आरक्षण संबंधी उन फायदों से, जो कि स्थानीय निकायों के गठन में विविधता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, अपवर्जित करना अंतर्बोध के विरुद्ध होगा । इस बात की पूर्ण संभावना है कि ऐसे व्यक्ति अपने-अपने समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और

उन्हें संरक्षित करने में अधिक सक्षम हों । अब हम विवादास्पद मुद्दों के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं ।

(i) पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की विधिमान्यता

34. अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) की, जो कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण करने में समर्थ बनाते हैं, सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देने की बाबत हम प्रत्यर्थियों से इस बारे में सहमत हैं कि ये मात्र समर्थकारी उपबंध हैं और उन्हें समता खंड के अतिक्रमणकारी मानकर विखंडित करना पूर्णतः अनुचित होगा । स्वीकृततः, अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) में इस बारे में कोई दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं कि पिछड़े वर्गों की पहचान कैसे की जाए और न ही उनमें ऐसे आरक्षण की मात्रा के लिए कोई सिद्धांत विनिर्दिष्ट किया गया है । इसके बजाय, राज्य विधान मंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण फायदे तैयार करने और उन्हें प्रदान करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया हैं । यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि इस वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करने की बाबत प्रश्न उद्भूत होंगे । इस मामले में याचियों ने कर्नाटक राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में 33 प्रतिशत आरक्षण और उत्तर प्रदेश राज्य में 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में आक्षेप किया है । इसी प्रकार के आक्षेप किसी अन्य राज्य विधानों के संबंध में भी उठाए जा सकते हैं । आक्षेप का सार यह है कि चूंकि अधिकांश अन्य पिछड़े वर्ग समूहों को राजनैतिक क्षेत्र में पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है इसलिए उन्हें आरक्षण फायदे प्रदान करने का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है । इस आधार पर, यह दलील दी गई थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में दिए गए आरक्षण युक्तियुक्त वर्गीकरण और आनुपातिकता की कसौटियों पर खरे नहीं उतरते । इसके अलावा, इस संबंध में आशंका व्यक्त की गई थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण एक ऐसे साधन के रूप में प्रकट हुआ है, जिसके द्वारा सत्ताधारी राज्य सरकारें किसी एक समूह को दूसरे समूह के मुकाबले अधिमानता देकर वोट बैंक की राजनीति में लिप्त हो सकती हैं । इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि याची की वास्तविक चिन्ता राज्य विधानों के अति-विस्तार के संबंध में है ।

35. इस संबंध में हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं है कि राज्य विधानों द्वारा उपबंधित अत्यधिक और अननुपाती आरक्षण निश्चित रूप से न्यायालयों के समक्ष विनिर्दिष्ट चुनौती की विषयवस्तु हो सकता है । तथापि, इससे अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) को विखंडित करना

न्यायोचित नहीं हो जाता, जो कि ऐसे सांविधानिक उपबंध हैं जो पहली बार पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण करना समर्थ बनाते हैं । जहां तक राज्य विधानों को दी गई चुनौती का संबंध है, हमें ऐसी कोई पर्याप्त सामग्री या तर्क-वितर्क नहीं दिया गया है जिनसे हमें उनके बारे में विनिश्चय करने में सहायता मिल सके । आरक्षण के प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करना एक कार्यपालक कृत्य है और जैसा कि अनुच्छेद 340 में आदिष्ट है, पिछड़ेपन के स्वरूप और विवक्षाओं के बारे में यथार्थ आनुभविक जांच संचालित करने के लिए समर्पित आयोगों की नियुक्ति करना आवश्यक है । कार्यपालिका के लिए यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि आरक्षण नीतियों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाए जिससे कि उसे अति-विस्तारित होनें से बचाया जा सके । कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम, 1993 के प्रति आक्षेपों के संबंध में हम केवल चिन्नपा रेड्डी आयोग रिपोर्ट (1990) के प्रति निर्देश कर सकते हैं जिसमें वही स्थिति प्रतिबिंबित की गई है जैसी कि वह बीस वर्ष पूर्व थी । अद्यतन आनुभविक आंकड़ों के अभाव में न्यायालय के लिए यह विनिश्चित करना लगभग असंभव है कि अन्य पिछड़े वर्गों के समूहों के पक्ष में किए गए आरक्षण यथानुपात में हैं अथवा नहीं । इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के विस्तार के बारे में किए गए दावे 1991 की जनगणना पर आधारित हैं । हम इन प्रश्नों को अनिर्णीत छोड़ने के इच्छुक हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याची राज्य विधानों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि वे अद्यतन आनुभविक आंकड़ों की सहायता से अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने में बरती गई त्रुटियां निकाल सकते हैं ।

36. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन आवश्यक रूप से राजनैतिक पिछड़ेपन के समान नहीं है । इस संबंध में, राज्य सरकारों को यह उचित सलाह दी जाती है कि वे अपनी आरक्षण नीतियों को फिर से संरूपित करें जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) के अधीन फायदाग्राहियों की सीमा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के फायदाग्राहियों [अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजनार्थ] या उन पिछड़े वर्गों के फायदाग्राहियों, जिनका सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व है [अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनार्थ] की सीमा के समान हो । यह कहना निरापद होगा कि उन सभी समूहों को, जिन्हें शिक्षा और नियोजन के क्षेत्र में आरक्षण फायदे दिए गए हैं, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनैतिक भागीदारी से संबंधित बाधाएं उसी स्वरूप की नहीं हैं जैसी कि वे बाधाएं जो शिक्षा और नियोजन की सुलभता को सीमित करती हैं । इसीलिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों के संबंध में कुछ नई सोच लाने और नीति बनाने की आवश्यकता है ।

37. स्थानीय स्वशासन में पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा के बारे में सुस्पष्ट सांविधानिक दिशानिर्देश के अभाव में, आनुपातिक आरक्षण व्यावहारिक बना हुआ है । तथापि, हमें इस तथ्य पर अवश्य ही जोर देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वस्थ आरक्षण की बाबत 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (मात्रात्मक परिसीमा) का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए । इस अधिकतम सीमा का उल्लंघन करने के प्रश्न पर याचियों द्वारा जो दलीलें दी गई हैं वे कुछ भ्रामक हैं चूंकि उन्होंने यह प्राख्यान करने के लिए कि कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया गया है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वस्थ आरक्षण तथा महिलाओं के पक्ष में समस्तर आरक्षण को भी हिसाब में ले लिया है । यह स्पष्टतः स्थिति का गलत अर्थ लगाना था चूंकि महिलाओं के पक्ष में किया गया समस्तर आरक्षण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में किए गए ऊर्ध्वस्थ आरक्षण को काटने के लिए आशयित है क्योंकि पश्चात्‌वर्ती प्रवर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक-तिहाई स्थान उन्हीं प्रवर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हैं । इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बात का अनुमान लगाना है कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं, सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित स्थानों को गणना में नहीं लिया जाना है ।

38. श्री राजीव धवन ने यह दलील दी थी कि चूंकि स्थानीय स्वशासन का संदर्भ शिक्षा और नियोजन के संदर्भ से भिन्न है इसलिए ऊर्ध्वस्थ आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा, जो कि **इंदिरा साहनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में विहित की गई थी, बिना सोचे समझे लागू नहीं की जा सकती क्योंकि उस मामले में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के संबंध में विचार किया गया था । इसके अलावा, यह दलील दी गई थी कि उसी विनिश्चय में कुछ परिस्थितियों में आपवादिक व्यवहार करने की आवश्यकता को मान्य ठहराया गया था, जो कि निम्नलिखित शब्दों से प्रकट होता है (पैरा 809 और पैरा 810 पर) :–

"809. उपर्युक्त विचार-विमर्श से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में अनुध्यात आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

810. जबकि नियमानुसार 50 प्रतिशत होगा किन्तु यह आवश्यक है कि इस देश और जनता की व्यापक विविधता में अंतर्निहित कतिपय असाधारण स्थितियों को भी विचार से परे नहीं रखा जाए । ऐसा हो सकता है कि दूर-दराज और दूरस्थ क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से परे रखे जाने के कारण और उन दशाओं को ध्यान में रखते हुए, जो उनके लिए विशिष्ट और अभिलाक्षणिक हैं, उनके संबंध में भिन्न तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है, इसलिए इस कठोर नियम में कुछ शिथिलता बरतना अनिवार्य हो सकता है । ऐसा करते समय, अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और विशेष मामला तैयार किया जाना चाहिए ।"

39. स्वीकृततः, जब राजनैतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है तो कुछ आपवादिक मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण अवश्य विद्यमान है । उदाहरणार्थ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और सिक्किम विधान सभाओं में इतना आरक्षण है कि वह 50 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक है । तथापि, ऐसी स्थिति इन क्षेत्रों के संबंध में आपवादिक विचारणाओं के परिणामस्वरूप है । इसी प्रकार, 50 प्रतिशत से अधिक ऊर्ध्वस्थ आरक्षण पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में अवस्थित स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के गठन के लिए अनुज्ञेय है । **भारत संघ** बनाम **राकेश कुमार**[1] वाले निर्णय के रूप में प्रतिवेदित हाल ही के विनिश्चय में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अवस्थित पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर आरक्षण प्रदान करना क्यों आवश्यक हो सकेगा । तथापि, ऐसी आपवादिक विचारणाओं को तब लागू नहीं किया जा सकता है जब वह साधारण क्षेत्रों में अवस्थित स्थानीय निकायों के प्रयोजनों के लिए पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की मात्रा की परीक्षा कर रहे हों । इन परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वस्थ आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से

---

[1] (2010) 1 स्केल 281.

अधिक नहीं हो सकता है । यह स्पष्ट है कि इस ऊपरी सीमा का पालन करने के लिए कुछ राज्यों ने अपने विधानों में इस प्रकार उपांतरण किए हैं जिससे कि अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में विद्यमान कोटे की मात्रा को घटाया जा सके ।

(iii) अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने की विधिमान्यता

40. स्थानीय स्वशासन में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण के संबंध में मुख्य आलोचना यह की गई है कि यह शत-प्रतिशत आरक्षण की कोटि में आता है चूंकि वे एकल पद के समान हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचियों ने उच्च न्यायालयों के कुछ विनिश्चयों का अवलंब लिया है (**जनार्दन पासवान** बनाम **बिहार राज्य**[1] और **कृष्ण कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले देखिए) जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पंचायतों में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण अनुज्ञेय नहीं होगा चूंकि यह एकल पदों पर आरक्षण के समान है । तथापि, अनुच्छेद 243-घ(4) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने का (आनुपातिक रीति में) स्पष्ट सांविधानिक आधार प्रदान किया गया है जबकि इसमें यह उपबंध भी किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के एक-तिहाई पद महिलाओं के पक्ष में आरक्षित होंगे । जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 243-घ के उपबंधों के पीछे जो कारण थे उनकी तुलना अनुच्छेद 16(4) के उन उपबंधों से आसानी से नहीं की जा सकती जो कि लोक नियोजन में आरक्षण का आधार है । सेवा विधि के क्षेत्र में यह स्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 16(4) की स्कीम के अधीन एकल पद आरक्षित नहीं किए जा सकते और याचियों ने अपनी दलील के समर्थन में कुछ पूर्व-निर्णयों का उल्लेख करके ठीक किया है । तथापि यही प्रतिपादना पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण को विखंडित करने के लिए आसानी से लागू नहीं की जा सकती । ऐसा इसलिए है क्योंकि आरक्षण के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष के पदों का अवलोकन अपने आप में एकल पदों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए । इसकी बजाय, निर्देश का ढांचा संपूर्ण राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों में से प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के पदों का संपूर्ण पूल होता है । स्थानों के इस पूल में से, जिसकी गणना में

---

[1] ए. आई. आर. 1988 पटना 75.

[2] ए. आई. आर. 1996 पटना 112.

संपूर्ण राज्य में की पंचायतें आती हैं, उन पदों की संख्या का अवधारण, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित किए जाने हैं, इन प्रवर्गों की जनसंख्या और राज्य की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात के आधार पर किया जाएगा । अनुच्छेद 243-घ(4) के प्रथम परन्तुक के पठन मात्र से ही इस निर्वचन को स्पष्ट रूप से समर्थन प्राप्त होता है । उक्त उपबंध की भाषा की पुनः परीक्षा करना उपयोगी होगा :–

> "243-घ (4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे :
>
> परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है :
>
> परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे :
>
> परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी ।"

41. जैसा कि ऊपर उल्लिखित उपबंध से प्रकट होगा, जब निर्देश का आधार संपूर्ण राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर संगणित अध्यक्ष के पदों का संपूर्ण पूल है तो शत-प्रतिशत आरक्षण की संभावना उद्भूत नहीं होती है । इस प्रयोजन के लिए, लोक सभा और उनसे संबंधित विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में किए जाने वाले आरक्षणों से हल्की सी सादृश्यता बनाई जा सकती है । इन निकायों के निर्वाचनों से पूर्व, निर्वाचन आयोग कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के रूप में निश्चित कर देता है जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होते हैं । इन आरक्षणों के प्रयोजनार्थ उस राज्य में लोक

सभा या विधान सभा के स्थानों की कुल संख्या न कि क्रमशः किसी संसद् सदस्य या विधान सभा सदस्य का एकल पद निर्देश का आधार होता है । इसलिए, पुनः पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के संदर्भ में विचार करते हुए, कतिपय संख्या में इन पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के पक्ष में आरक्षित करना अनुज्ञेय है बशर्ते ऐसा अनुच्छेद 243-घ(4) के परन्तुकों के अनुसार किया जाता है ।

42. नगरीय स्थानीय निकायों की दशा में, अनुच्छेद 243-न(4) भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के पक्ष में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण समर्थ बनाता है । तथापि, नगरीय क्षेत्रों में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु कोई और विनिर्देश नहीं हैं । जबकि हमारे लिए यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं है कि इसके पीछे विधायी आशय क्या है किन्तु कोई भी संभवतः यह अनुमान लगा सकता है कि यह उपधारणा की गई थी कि आशयित फायदाग्राही, नगरीय स्थानीय निकायों में राजनैतिक भागीदारी की, जब उसकी तुलना ग्रामीण स्थानीय निकायों से की जाती है, बाधाओं को पार करने के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे ।

43. यह दलील भी दी गई थी कि चूंकि पंचायतों और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को कार्यपालक शक्तियां सौंपी गई हैं इसलिए इन पदों को आरक्षित करना सरकार के उच्चतर स्तरों पर कार्यपालक पदों के आरक्षण के लिए पुरोगामी साबित हो सकेगा । यह भी सुझाव दिया गया था कि अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों को आरक्षित करने के समान है । हमारी राय में, सरकार के उच्चतर स्तरों के साथ यह सादृश्यता भ्रामक है । पंचायतों और नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद संरक्षात्मक विभेद के उपाय के रूप में आरक्षित किए जाते हैं जिससे कि कमजोर वर्गों को स्थानीय स्तर पर मोर्चाबंदी करने संबंधी हितों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने में समर्थ बनाया जा सके । कमजोर वर्गों के व्यक्तियों द्वारा सहन की जी रही अलाभप्रदता और विभेद के प्रतिमान स्थानीय स्तर पर अधिक व्यापक हैं । लोक सभा और विधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में, जो कि सीमांतवाद और अन्यायपूर्ण विभेद के विरुद्ध सुरक्षोपाय के रूप में मुख्यधारा वाले राजनीतिक दलों तथा मीडिया की छानबीन के समर्थन पर निर्भर कर सकते हैं, अलाभप्रद वर्गों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई समर्थन-आधार नहीं हो सकता है । इस संबंध में, संसद् ने यह

सुनिश्चित करने की दृष्टि से अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण को समर्थ बनाना उपयुक्त समझा कि न केवल कमजोर वर्गों को स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो बल्कि उन्हें प्रमुख की भूमिकाएं निभाने का अवसर भी प्राप्त हो ।

44. स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण आलोचना यह की गई है कि यह उन व्यक्तियों की, जो आरक्षित प्रवर्गों के नहीं हैं, राजनैतिक भागीदारी के अधिकारों पर एक अयुक्तियुक्त परिसीमा लगाने की कोटि में आता है । जैसा कि याची के निवेदनों में प्रगणित किया गया है, राजनैतिक भागीदारी के अधिकारों में मोटे तौर पर किसी नागरिक का अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के पक्ष में मत देने का अधिकार और किसी लोक पद के लिए निर्वाचन लड़ने संबंधी नागरिकों का अधिकार आता है । प्रस्तुत मामले के संदर्भ में, इनमें पंचायतों और नगरपालिकाओं के अध्यक्ष चुनने संबंधी निर्वाचित सदस्यों के अधिकार आएंगे । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह दलील दी गई थी कि इन पदों को आरक्षित करने का प्रभाव मतदाताओं को उपलब्ध विकल्पों को सीमित करना और सामान्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को इन निर्वाचनों को लड़ने से प्रभावी रूप से हतोत्साहित करना है । श्री सलमान खुर्शीद ने यह मुद्दा उठाया था कि उन व्यक्तियों की तुलना में, जो लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन लड़ते हैं, उन व्यक्तियों के लिए यह व्यवहार्य नहीं है, जो उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न, जिनमें वे निवास करते हैं, निर्वाचन लड़ने के लिए स्थानीय निकायों में सदस्यता की ईप्सा करते हैं । तर्क-वितर्क का यह मोर्चा इस दलील के समर्थन में अपनाया गया था कि अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण लोकतंत्र के सिद्धांतों का अतिक्रमणकारी है ।

45. जबकि निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करना उदार लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है किन्तु भारतीय विधि में यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि मत देने और निर्वाचन लड़ने के अधिकार को मूल अधिकारों की हैसियत प्राप्त नहीं है । इसके विपरीत, वे विधिक अधिकारों की प्रकृति के हैं जिन्हें विधायी माध्यमों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है । हम इस मुद्दे पर **मोहन लाल त्रिपाठी** बनाम **जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति आर. एम. सहाय द्वारा की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के प्रति निर्देश कर सकते हैं :–

---

[1] (1992) 4 एस. सी. सी. 80, पैरा 2.

> "लोकतंत्र एक संकल्पना, एक राजनैतिक दर्शनशास्त्र, एक ऐसा आदर्श है जिसे सांस्कृतिक रूप से उन्नत और राजनैतिक रूप से परिपक्व अनेक राष्ट्रों द्वारा प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से निर्वाचित लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा शासन करने का सहारा लेकर व्यवहार में लाया जाता है । शासन करने के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना न तो 'मूल अधिकार' है और न ही 'साधारण विधिक अधिकार' है बल्कि यह कानूनों द्वारा सृजित विशेष अधिकार या एक 'राजनैतिक अधिकार' या 'विशेषाधिकार' है और यह कोई 'नैसर्गिक', 'आत्यांतिक' या 'विहित अधिकार' नहीं है । साधारण विधि और साम्या से मिलती-जुलती धारणाएं निर्वाचन विधि में तब तक अपरिचित रहनी चाहिएं जब तक उन्हें कानूनी रूप से सन्निविष्ट नहीं किया जाता है । निर्वाचित प्रतिनिधि को पदच्युत करने का अधिकार भी कानून से निकलना चाहिए क्योंकि 'सांविधानिक निर्बंधन के अभाव में यह विधान मंडल की शक्ति के भीतर है कि वह अधिकारियों को वापस बुलाने के लिए कोई विधि अधिनियमित करे । उसकी विद्यमानता या विधिमान्यता का विनिश्चय अधिनियम के उपबंध के आधार पर न कि नीति संबंधी विषय के रूप में किया जा सकता है' ।"

इस संबंध में, यह अवेक्षणीय है कि संविधान में भारत के निर्वाचन आयोग को लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए पात्र मतदाताओं की पहचान करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचक नामावलियां तैयार करने की शक्ति दी गई है । इससे यह संकेत मिलता है कि मत देने का अधिकार कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है और इसका किसी अमूर्त अर्थ में दावा नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्वाचन लड़ने के लिए व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में सांविधानिक दिशानिर्देश को प्रभावी किया गया है । इसमें वे आधार भी शामिल हैं जो व्यक्तियों को निर्वाचन लड़ने के अपात्र बनाते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, वह व्यक्ति, जो अस्वस्थ चित्त का है, दिवालिया है और अन्य बातों के साथ-साथ कार्यपालिका के अधीन लाभ का पद धारण करता है । यह कहना पर्याप्त होगा कि निर्वाचन लड़ने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है चूंकि उसके ऊपर सुव्यक्त विधायी नियंत्रण हैं ।

46. याचियों ने हमसे उन पूर्व-निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है जिनमें राजनैतिक भागीदारी के अधिकारों को कानूनी अधिकारों के

रूप में विशेषित किया गया है । यह दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद के अधीन सरकारी कार्रवाई के लिए अपेक्षित युक्तियुक्तता, ऋजुता और भेदभावरहित मानक को ध्यान में रखते हुए, उन निर्बंधनों को अविधिमान्य करने के लिए मामला बनता है जो स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों के परिणामस्वरूप इन अधिकारों पर अधिरोपित किए गए हैं । हम इस दलील से सहमत नहीं हैं । इस मामले में, हम सकारात्मक कार्रवाई संबंधी अध्युपाय पर विचार कर रहे हैं और इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करने के लिए आनुपातिकता की कसौटी अत्यधिक उपयुक्त मानक है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने से अनारक्षित प्रवर्गों के व्यक्तियों के राजनैतिक भागीदारी के अधिकार कतिपय सीमा तक निर्बंधित होते हैं । तथापि, हम यह महसूस करते हैं कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में कमजोर वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करके उनके हितों को संरक्षित करने संबंधी विधिसम्मत सरकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त वर्गीकरण की कसौटी पूरी हो जाती है । प्रत्यर्थियों के निवेदनों में इस स्थिति को अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है, जिनमें यह कहा गया है कि शक्ति की विषमताएं यह अपेक्षा करती हैं कि अध्यक्ष अलाभप्रद समुदाय का होना चाहिए जिससे कि इन पंचायतों की कार्यसूची का बहुसंख्यक सदस्यों के कारणों से अपहरण न होने पाए । (बिहार राज्य की ओर से किए गए निवेदनों के पृष्ठ 49 में से उद्धृत)

47. निस्संदेह, अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने की प्रभावकारिता के संबंध में संदेह करने वाले कुछ तर्क दिए गए थे जिनमें से अधिकतर इस आधार पर थे कि इसके परिणामस्वरूप आशयित फायदाग्राहियों का वास्तविक सशक्तीकरण नहीं होता है चूंकि उन पर अब भी पारंपरिक रूप से शक्तिशाली वर्ग हावी हैं । विशेष रूप से, स्थानीय स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के मामले में यह प्रायः तर्क दिया जाता है कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग उनके कुटुम्बों के पुरुष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है । हम भी ऐसी घटनाओं की प्रायिक रिपोर्टों से सतर्क हैं जहां महिला प्रतिनिधि स्वयं अपने अधिकारों पर दृढ़ रही हैं जिसके कारण उन्हें प्रतिगामी पितृसत्तात्मक समाज के कोप का सामना करना पड़ा है । तथापि, ऐसी सफल कहानियों के बारे में भी रिपोर्टों में बढ़ोतरी हुई है जिनसे यह दर्शित होता है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से

सामाजिक कल्याण में विस्तार हुआ है । स्थानीय स्वशासन में आरक्षणों की प्रभावकारिता के बारे में इन चिंताओं के होते हुए भी न्यायपालिका के लिए किसी दूसरे सामाजिक कल्याण के अध्युपाय का अनुमान लगाना उचित नहीं है जिसे किसी सांविधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है । इन विचारणाओं के प्रकाश में, हम अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) की सांविधानिक विधिमान्यता के संबंध में दी गई चुनौती को नामंजूर करते हैं ।

निष्कर्ष

48. उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारे निष्कर्ष ये हैं :–

(i) स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में आरक्षणों की प्रकृति और प्रयोजन उच्चतर शिक्षा और लोक नियोजन के संदर्भ से पर्याप्त रूप में भिन्न है । इस आशय से, अनुच्छेद 243-घ और अनुच्छेद 243-न सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक सुभिन्न और स्वतंत्र सांविधानिक आधार गठित करते हैं और अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) द्वारा समर्थित आरक्षण नीतियों के संबंध में तैयार किए गए सिद्धांतों को स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में सहज ही लागू नहीं किया जा सकता है । जब भी वे सिद्धांत बनाए जाते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वे अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनों के लिए आरक्षण की अवधि की तत्स्थानी अवधि के लिए हों किन्तु वे काफी कम अवधि के लिए हो सकते हैं ।

(ii) अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) सांविधानिक रूप से विधिमान्य हैं चूंकि वे ऐसी प्रकृति के उपबंध हैं जो राज्य विधान मंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थान और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने के लिए मात्र समर्थ बनाते हैं । अननुपाती आरक्षण के बारे में प्रश्न राज्य विधानों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट चुनौती द्वारा उठाए जाने चाहिएं ।

(iii) हम आक्षेपित राज्य विधानों के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित आरक्षण की मात्रा की अतिव्यापकता के बारे में किए गए दावों की परीक्षा करने की स्थिति में नहीं है चूंकि ऐसे कोई समकालीन आनुभविक आंकड़े मौजूद नहीं हैं । यह कार्यपालिका का दायित्व है कि वह पिछड़ेपन के उस ढांचे का सख्ती से अन्वेषण करे जो कि राजनैतिक भागीदारी में बाधक के रूप में कार्य करता है और

2010(5) eILR(PAT) SC 280

जो कि वास्तव में शिक्षा और नियोजन सुलभ कराने के मामले में अलाभप्रदता के ढांचे से पूर्णतः भिन्न है । चूंकि हमने केवल अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) की सांविधानिक विधिमान्यता के संबंध में विचार किया है और विनिश्चय किया है इसलिए याची या कोई व्यथित पक्षकार उक्त सांविधानिक उपबंधों के अनुसरण में अधिनियमित किसी राज्य विधान को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा । हमारा यह मत है कि अनुच्छेद 243-घ(6) और अनुच्छेद 243-न(6) के अधीन पिछड़े वर्गों की पहचान अनुच्छेद 15(4) के प्रयोजनार्थ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों की पहचान करने से सुभिन्न होनी चाहिए ।

(iv) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊर्ध्वास्थ आरक्षण की अधिकतम सीमा का स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में भंग नहीं किया जाना चाहिए । अपवाद केवल अनुसूचित क्षेत्रों में अवस्थित पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के मामले में उनके हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से किया जा सकता है ।

(v) अनुच्छेद 243-घ(4) और अनुच्छेद 243-न(4) द्वारा अनुध्यात रीति में अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण सांविधानिक रूप से विधिमान्य है । अध्यक्ष के इन पदों की तुलना लोक नियोजन के संदर्भ में एकल पदों से नहीं की जा सकती है ।

49. इन मताभिव्यक्तियों सहित रिट याचिकाओं के प्रस्तुत समूह का निपटारा किया जाता है ।

रिट याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया गया ।

ग्रो./अनू.

संसद् के अधिनियम

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 6)

[7 जनवरी, 2009]

सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में "पते" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) यदि व्यष्टि है तो उसके प्रायिक निवास स्थान का पता ; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसके रजिस्ट्रीकृत

कार्यालय का पता ;

(ख) "अधिवक्ता" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथापरिभाषित अधिवक्ता अभिप्रेत है ;

(ग) "अपील अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चद की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) "निगम निकाय" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं–

(i) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी ;

(ii) भारत के बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी ; और

(iii) भारत के बाहर निगमित कंपनी,

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं –

(i) एकल निगम ;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी ; और

(iii) कोई अन्य निगम निकाय (जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी या इस अधिनियम में यथापरिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है), जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ङ) "कारबार" में प्रत्येक व्यापार, वृत्ति, सेवा और उपजीविका सम्मिलित हैं ;

(च) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम

की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(छ) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(ज) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में "न्यायालय" से धारा 77 के उपबंधों के अनुसार अधिकारिता रखने वाला न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ञ) "अभिहित भागीदार" से धारा 7 के अनुसरण में भागीदार के रूप में अभिहित कोई भागीदार अभिप्रेत है ;

(ट) "अस्तित्व" से कोई निगम निकाय अभिप्रेत है और धारा 18, धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50, धारा 52 और धारा 53 के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन स्थापित फर्म भी है ;

(ठ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में "वित्तीय वर्ष" से वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है :

परंतु वर्ष की 30 सितंबर के पश्चात् निगमित सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, वित्तीय वर्ष, उस वर्ष के आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो सकेगा ;

(ड) "विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी" से भारत के बाहर विरचित, निगमित या रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है और जो भारत के भीतर कारबार का कोई स्थान स्थापित करती है ;

(ढ) "सीमित दायित्व भागीदारी" से इस अधिनियम के अधीन

विरचित और रजिस्ट्रीकृत भागीदारी अभिप्रेत है ;

(ण) "सीमित दायित्व भागीदारी करार" से सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच कोई लिखित करार अभिप्रेत है, जो भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा उस सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में उनके अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण करता है ;

(त) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में "नाम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) यदि व्यष्टि है तो उसका मुख्य नाम, मध्य नाम और उपनाम ; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसका रजिस्ट्रीकृत नाम;

(थ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में "भागीदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार बनता है ;

(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) "रजिस्ट्रार" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत करने के कर्तव्य वाला रजिस्ट्रार, या अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(न) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(प) "अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चख की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

सीमित दायित्व भागीदारी की प्रकृति

3. सीमित दायित्व भागीदारी का निगम निकाय होना – (1) सीमित

दायित्व भागीदारी ऐसा निगम निकाय है, जिसे इस अधिनियम के अधीन विरचित और निगमित किया गया है तथा जिसका इसके भागीदारों से पृथक् विधिक अस्तित्व है ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी का शाश्वत उत्तराधिकार होगा ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में किसी परिवर्तन से सीमित दायित्व भागीदारी की विद्यमानता, अधिकार या दायित्व प्रभावित नहीं होंगे ।

4. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का लागू न होना – जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे ।

5. भागीदार – कोई व्यष्टि या निगम निकाय सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार हो सकेगा :

परंतु व्यष्टि सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के लिए समर्थ नहीं होगा, यदि,–

(क) वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृतचित्त पाया गया है और निष्कर्ष प्रवर्तन में है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है ।

6. भागीदारों की न्यूनतम संख्या – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी में कम से कम दो भागीदार होंगे ।

(2) यदि किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम हो जाती है और सीमित दायित्व भागीदारी इस प्रकार संख्या के कम होने के दौरान छह मास से अधिक के लिए कारबार जारी रखती है, तो वह व्यक्ति, जो उस समय के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी का एकमात्र भागीदार है जब वह उन छह मास के पश्चात् इस प्रकार कारबार करता रहा है और उसे उस तथ्य की जानकारी है कि वह अकेला ही उसका कारबार चला रहा है, तो वह उस अवधि के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी को उपगत बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

7. अभिहित भागीदार – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के कम से कम दो अभिहित भागीदार होंगे, जो व्यष्टि हों और उनमें से कम से कम एक भारत में निवासी होगा :

परंतु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसमें सभी भागीदार निगम निकाय हैं या जिसमें एक या अधिक भागीदार व्यष्टि और निगम निकाय हैं, कम से कम दो व्यष्टि जो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार हैं या ऐसे निगम निकायों के नामनिर्देशिती हैं, अभिहित भागीदारों के रूप में कार्य करेंगे ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए "भारत में निवासी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अन्यून की अवधि के लिए भारत में ठहरा है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,–

(i) यदि निगमन दस्तावेज,–

(क) यह विनिर्दिष्ट करता है कि अभिहित भागीदार कौन होंगे तो ऐसे व्यक्ति निगमन पर अभिहित भागीदार होंगे ; या

(ख) यह कथन करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार समय-समय पर अभिहित भागीदार होगा तो प्रत्येक ऐसा भागीदार अभिहित भागीदार होगा ;

(ii) कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार अभिहित भागीदार बन सकेगा और कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार अभिहित भागीदार नहीं रहेगा ।

(3) कोई व्यष्टि किसी सीमित दायित्व भागीदारी में तभी अभिहित भागीदार होगा जब उसने सीमित दायित्व भागीदारी में उस रूप में कार्य करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पूर्व सहमति दे दी हो ।

(4) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की, जिसने अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पूर्व सहमति अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दे दी है, विशिष्टियां रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(5) अभिहित भागीदार होने के लिए पात्र व्यष्टि ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं को जो विहित की जाएं, पूरा करेगा ।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार केंद्रीय सरकार से अभिहित भागीदार पहचान संख्या अभिप्राप्त करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क से धारा 266छ (जिसमें दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

8. अभिहित भागीदारों के दायित्व – जब तक कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अभिहित भागीदार–

(क) ऐसे सभी कार्यों, विषयों और बातों को करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की बाबत की जानी अपेक्षित हैं, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे किसी दस्तावेज, विवरणी, विवरण और इसी प्रकार की रिपोर्ट को जो सीमित दायित्व भागीदारी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करना भी है ; और

(ख) उन उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी पर अधिरोपित सभी शास्तियों के लिए दायी होगा ।

9. अभिहित परिवर्तन – सीमित दायित्व भागीदारी किसी कारण से हुई रिक्ति के तीस दिन के भीतर अभिहित भागीदार को नियुक्त कर सकेगी और धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध ऐसे नए अभिहित भागीदार के संबंध में लागू होंगे :

परंतु यदि कोई अभिहित भागीदार नियुक्त नहीं किया जाता है या यदि किसी समय केवल एक अभिहित भागीदार है तो प्रत्येक भागीदार अभिहित भागीदार समझा जाएगा ।

10. धारा 7, धारा 8 और धारा 9 के उल्लंघन के लिए दंड – (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 8 या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो

सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अध्याय 3

सीमित दायित्व भागीदारी का निगमन और उसके आनुषंगिक विषय

11. निगमन दस्तावेज – (1) निगमित की जाने वाली सीमित दायित्व भागीदारी के लिए,–

(क) लाभ की दृष्टि से किसी विधि युक्त कारबार को चलाने के लिए सहयोजित दो या अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज पर अपने नाम हस्ताक्षरित करेंगे ;

(ख) निगमन दस्तावेज ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है ; और

(ग) निगमन दस्तावेज के साथ विहित प्ररूप में या तो किसी अधिवक्ता या कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा, जो सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना में लगा हुआ है और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसने निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित किया है, किया गया यह कथन फाइल किया जाएगा कि नियमन और उससे पूर्व के और उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है ।

(2) निगमन दस्तावेज,–

(क) ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का कथन होगा ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी के प्रस्तावित कारबार का कथन होगा ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का कथन होगा ;

(ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के, जो निगमन पर सीमित दायित्व

भागीदारी के भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा ;

(च) ऐसे व्यक्तियों के, जो निगमन पर सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा ;

(छ) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित ऐसी अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी, जो विहित की जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसा कथन करता है जिसके बारे में वह–

(क) यह जानता है कि वह मिथ्या है ; या

(ख) यह विश्वास नहीं करता है कि वह सही है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

12. रजिस्ट्रीकरण द्वारा निगमन – (1) जब धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा अधिरोपित अपेक्षाओं का अनुपालन हो गया है तब रजिस्ट्रार निगमन दस्तावेज को रखेगा और जब तक उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक वह चौदह दिन की अवधि के भीतर–

(क) निगमन दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा ; और

(ख) यह प्रमाणपत्र नहीं देगा कि सीमित दायित्व भागीदारी निगमन दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिदत्त विवरण को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकेगा कि उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और उसकी कार्यालय मुद्रा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(4) प्रमाणपत्र इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि सीमित दायित्व भागीदारी उसमें विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है ।

13. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और उसमें परिवर्तन – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी का एक रजिस्ट्रीकृत

कार्यालय होगा जिसको सभी संसूचनाएं और सूचनाएं संबोधित की जा सकेंगी और जहां वे प्राप्त की जाएंगी ।

(2) किसी दस्तावेज की तामील सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार पर डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी किसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और ऐसे किसी अन्य पते पर, जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, भेजकर की जा सकेगी ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन कर सकेगी, ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगी और ऐसा परिवर्तन इस प्रकार सूचना फाइल करने पर ही प्रभावी होगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

14. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – रजिस्ट्रीकरण पर, सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम से–

(क) वाद लाने और उसके विरुद्ध वाद लाए जाने ;

(ख) संपत्ति का, चाहे स्थावर हो या जंगम, मूर्त हो या अमूर्त, अर्जन करने, स्वामित्व रखने, धारण करने, विकास या व्ययन करने;

(ग) यदि उसने एक मुद्रा रखने का विनिश्चय किया है तो सामान्य मुद्रा रखने ; और

(घ) ऐसे अन्य कार्यों और बातों को करने और कराने, जिन्हें निगम निकाय विधिमान्य रूप से कर या करा सकता है,

के लिए समर्थ होगी ।

15. नाम – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में या तो "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द या "सी. दा. भा." संक्षेपाक्षर, उसके नाम

के अंतिम अक्षरों के रूप में होंगे ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जो केंद्रीय सरकार की राय में –

(क) अवांछनीय है ; या

(ख) किसी अन्य भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न या ऐसे किसी व्यापार चिह्न के समरूप है या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की विषयवस्तु है ।

16. नाम का आरक्षण – (1) कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं,–

(क) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के रूप में ; या

(ख) उस नाम के रूप में जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम का परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है,

आवेदन में उपवर्णित नाम के आरक्षण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रार, इस विषय में केंद्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आरक्षित किया जाने वाला नाम वह नाम नहीं है जिसे धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर खारिज किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकेगा ।

17. सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का परिवर्तन – (1) धारा 15 और धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत की गई है (चाहे अनवधानता से या अन्यथा और चाहे मूल रूप से या नाम में परिवर्तन द्वारा) जो–

(क) धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नाम है ; या

(ख) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या

अन्य नाम के समरूप है या उससे इतना मिलता-जुलता है, जिससे भूल होने की संभावना है,

वहां केंद्रीय सरकार, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और सीमित दायित्व भागीदारी उक्त निदेश का, निदेश की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, पालन करेगी ।

(2) कोई ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी जो, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

18. कतिपय परिस्थितियों में नाम के परिवर्तन के निदेश के लिए आवेदन – (1) कोई अस्तित्व जिसका नाम पहले से ही किसी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसे बाद में निगमित किया गया है, नाम के समरूप है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, धारा 17 में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपना नाम परिवर्तन करने के लिए निदेश देने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई निदेश देने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर तभी विचार करेगा जब रजिस्ट्रार को उस नाम से सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौबीस मास के भीतर आवेदन प्राप्त हुआ हो ।

19. रजिस्ट्रीकृत नाम का परिवर्तन – कोई सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत अपने नाम में ऐसे परिवर्तन की सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, उसके पास फाइल करके परिवर्तन कर सकेगी ।

20. "सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी. दा. भा." शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए शास्ति – यदि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे नाम या अभिनाम के अधीन कारबार चलाया जाता है जिसके अंत में "सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी. दा. भा." शब्द या

उनका कोई संक्षिप्त रूप या नकल शब्द हैं तो वह व्यक्ति या उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जब तक सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में सम्यक् रूप से निगमित नहीं किया गया है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

21. नाम और सीमित दायित्व का प्रकाशन – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके बीजकों, शासकीय पत्राचार और प्रकाशनों पर निम्नलिखित अंकित हो, अर्थात् :–

(क) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या ; और

(ख) यह कथन कि यह सीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

अध्याय 4

भागीदार और उनके संबंध

22. भागीदार बनने के लिए पात्रता – सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन पर, वे व्यक्ति जिन्होंने निगमन दस्तावेज पर अपने नाम हस्ताक्षरित किए हैं, उसके भागीदार होंगे और कोई अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार बन सकेगा ।

23. भागीदारों के संबंध – (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य तथा सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा शासित होंगे।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों को यदि कोई हों, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।

(3) उन व्यक्तियों के बीच, जो निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित करते हैं, सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन से पूर्व लिखित में

किया गया कोई करार सीमित दायित्व भागीदारी पर बाध्यताएं अधिरोपित कर सकेगा, परंतु यह तब जब ऐसे करार का सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के पश्चात् सभी भागीदारों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया हो ।

(4) किसी विषय से संबंधित करार के अभाव में, भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को उस विषय से संबंधित उपबंधों के द्वारा जो पहली अनुसूची में उपवर्णित हैं, अवधारित किया जाएगा ।

24. भागीदारी हित का समाप्त हो जाना – (1) कोई व्यक्ति, भागीदार न रहने के संबंध में अन्य भागीदारों के साथ किसी करार के अनुसार या अन्य भागीदारों के साथ करार के अभाव में, भागीदारी त्यागने के अपने आशय की अन्य भागीदारों को तीस दिन से अन्यून की लिखित में सूचना देकर सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रह सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति,–

(क) अपनी मृत्यु या सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन पर; या

(ख) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित कर दिया गया है ; या

(ग) यदि उसने दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत होने के लिए आवेदन किया है या उसे दिवालिया के रूप में घोषित किए जाने पर,

किसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहेगा ।

(3) जहां, कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पूर्व भागीदार" कहा गया है) वहां पूर्व भागीदार को, (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में) सीमित दायित्व भागीदार का तब तक भागीदार माना जाएगा, जब तक–

(क) उस व्यक्ति को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है ; या

(ख) रजिस्ट्रार को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी में किसी भागीदार के न रहने से ही भागीदार की, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य भागीदार के प्रति या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बाध्यता, जो उसके भागीदार रहने के दौरान उपगत हुई हो, निर्मोचित नहीं होती है ।

(5) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार, भागीदार नहीं रहता है, वहां जब तक सीमित दायित्व भागीदारी करार में अन्यथा उपबंधित न हो, पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालिएपन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से का हकदार कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी से, पूर्व भागीदार के भागीदार न रहने की तारीख को अवधारित सीमित दायित्व भागीदारी को संचित हानियों की कटौती करने के पश्चात् निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा –

(क) सीमित दायित्व भागीदारी में पूर्व भागीदार के वास्तव में किए गए पूंजी अभिदाय के बराबर रकम;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के संचित लाभों में हिस्सा लेने का उसका अधिकार ।

(6) पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालिएपन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से के हकदार किसी व्यक्ति को सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

25. भागीदारों के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – (1) प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम या पते में परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर देगा ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी,–

(क) जहां कोई व्यक्ति भागीदार बनता है या भागीदार नहीं रहता है, वहां उसके भागीदार बनने या न रहने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगी ; और

(ख) जहां भागीदार के नाम या पते में कोई परिवर्तन है, वहां ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई सूचना –

(क) ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित की जाएगी जो विहित की जाए ; और

(ग) यदि वह आने वाले भागीदार के संबंध में है तो उसमें उस भागीदार द्वारा यह कथन होगा कि वह भागीदार बनने की सहमति देता है, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित होगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(5) यदि कोई भागीदार उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, ऐसा भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है, उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना रजिस्ट्रार के पास स्वयं फाइल कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल नहीं कर सकेगी और भागीदार द्वारा फाइल की गई किसी सूचना की दशा में रजिस्ट्रार, सीमित दायित्व भागीदारी से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करेगा जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी ने भी ऐसी सूचना फाइल नहीं कर दी हो :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पंद्रह दिन के भीतर कोई पुष्टि नहीं की गई है वहां रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन भागीदार न रहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को रजिस्टर करेगा ।

अध्याय 5

सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के दायित्वों का विस्तार और परिसीमा

26. अभिकर्ता के रूप में भागीदार – किसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के प्रयोजन के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी का अभिकर्ता है न कि अन्य भागीदारों का ।

27. सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व की सीमा – (1) सीमित दायित्व भागीदारी, किसी भागीदार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार करने में की गई किसी बात के लिए आबद्ध नहीं है यदि –

(क) भागीदार को वास्तव में सीमित दायित्व भागीदारी के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने का कोई प्राधिकार नहीं है ; और

(ख) वह व्यक्ति यह जानता है कि उसको कोई प्राधिकार नहीं है या वह यह नहीं जानता है या उसे यह विश्वास है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार है ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी दायी है, यदि सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के दौरान उसकी ओर से या उसके प्राधिकार से किसी सदोष कार्य या लोप के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति दायी है ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी की कोई बाध्यता, चाहे वह संविदा से उद्‌भूत हुई हो या अन्यथा, मुख्य रूप से सीमित दायित्व भागीदारी की बाध्यता होगी ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्वों की पूर्ति सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति से की जाएगी ।

28. भागीदार के दायित्व की सीमा – (1) कोई भागीदार धारा 27 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी बाध्यता के लिए केवल सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है ।

(2) धारा 27 की उपधारा (3) और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंध किसी भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए उसके व्यक्तिगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेंगे, किंतु कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अन्य भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।

29. व्यपदेशन – (1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किया जाने देता है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायी है जिसने किसी ऐसे व्यपदेशन के भरोसे उस सीमित दायित्व भागीदारी को उधार दिया है चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार

होने का व्यपदेशन किया है या जिसके भागीदार होने का व्यपदेशन किया गया है यह ज्ञान रखता हो या नहीं कि वह व्यपदेशन ऐसे उधार देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है :

परंतु जहां कोई उधार किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने ऐसे व्यपदेशन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया है वहां सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसने इस प्रकार भागीदार होने के बारे में स्वयं व्यपदेशन किया है या जिसका व्यपदेशन किया था उसके द्वारा प्राप्त उधार की सीमा तक या उस पर व्युत्पन्न किसी वित्तीय फायदे की सीमा तक दायी होगा ।

(2) जहां भागीदार की मृत्यु के पश्चात् कारबार उसी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से चालू रखा जाता है वहां उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का भागरूप उपयोग किए जाते रहना स्वयं में उस भागीदार के विधिक प्रतिनिधि को या उसकी संपदा को सीमित दायित्व, भागीदारी के किसी कार्य के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात् किया गया हो, दायी नहीं बनाएगा ।

30. कपट की दशा में असीमित दायित्व – (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किए गए किसी कार्य की दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी और उन भागीदारों का दायित्व, जिन्होंने लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय से या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए कार्य किया है, सीमित दायित्व भागीदारी के सभी या किन्हीं ऋणों या अन्य दायित्वों के लिए असीमित होंगे :

परंतु यदि ऐसा कोई कार्य किसी भागीदार द्वारा किया गया है तो सीमित दायित्व भागीदारी तब तक उसी सीमा तक दायी होगी जिस तक भागीदार दायी है जब तक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि ऐसा कार्य सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी या प्राधिकार के बिना किया गया था ।

(2) जहां कोई कारबार ऐसे आशय से या ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उपधारा (1) में उल्लिखित है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्वोक्त रीति में कारबार करने के लिए जानबूझकर पक्षकार था, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार

रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या किसी कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी के कार्य कपटपूर्ण रीति से किए हैं, वहां ऐसी किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत हों, सीमित दायित्व भागीदारी और ऐसा कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी किसी व्यक्ति को, जिसको ऐसे आचरण के कारण कोई हानि या नुकसानी हुई है, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी तब दायी नहीं होगी, यदि ऐसे किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी के बिना कपटपूर्वक कार्य किया है ।

31. निर्णायक कार्य – (1) न्यायालय या अधिकरण, किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी के विरुद्ध उद्ग्रहणीय किसी शास्ति को कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :–

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे भागीदार या कर्मचारी ने ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के अन्वेषण के दौरान उपयोगी सूचना उपलब्ध कराई है ; या

(ख) जब किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर (चाहे अन्वेषण के दौरान हो या नहीं) सीमित दायित्व भागीदारी, या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी को इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है ।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या किसी कर्मचारी को केवल इस कारण सेवोन्मुक्त, पदावनत, निलंबित, धमकाया, उत्पीड़ित न किया जाए या उसके साथ उसकी सीमित दायित्व भागीदारी या नियोजन के निबंधनों और शर्तों के विरुद्ध किसी अन्य रीति में विभेद न किया जाए कि उसने उपधारा (1) के अनुसरण में सूचना प्रदान की है या सूचना उपलब्ध कराई है ।

अध्याय 6

अभिदाय

32. अभिदाय का स्वरूप – (1) किसी भागीदार के अभिदाय में मूर्त, जंगम या स्थावर या अमूर्त संपत्ति या सीमित दायित्व भागीदारी में अन्य फायदे सम्मिलित हो सकेंगे, जिसके अंतर्गत धनराशि, वचनपत्र, नकद या संपत्ति के अभिदाय के लिए अन्य करार और की गई या की जाने वाली सेवाओं के लिए संविदाएं भी हैं ।

(2) प्रत्येक भागीदार के अभिदाय के अधीन धनीय मूल्य का लेखा रखा जाएगा और सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकट किया जाएगा ।

33. अभिदाय करने की बाध्यता – (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में धन या अन्य संपत्ति या अन्य फायदे का अभिदाय करने या उसके लिए कोई सेवा करने की किसी भागीदार की बाध्यता सीमित दायित्व भागीदारी के करार के अनुसार होगी ।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई लेनदार, जो उस करार में वर्णित किसी बाध्यता के आधार पर भागीदारों के बीच किसी समझौते की सूचना के बिना ऋण देता है या अन्यथा कार्य करता है, ऐसे भागीदार के विरुद्ध मूल बाध्यता को प्रवृत्त कर सकेगा ।

अध्याय 7

वित्तीय प्रकटन

34. लेखा बहियों, अन्य अभिलेखों का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा, आदि – (1) सीमित दायित्व भागीदारी, अपनी विद्यमानता के प्रत्येक वर्ष के कामकाज के संबंध में, नकदी आधार पर या प्रोद्भवन आधार पर ऐसी समुचित लेखा बहियां, जो विहित की जाएं, और लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखेगी और उन्हें ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखेगी ।

(2) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक का उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए तैयार करेगी और ऐसा विवरण सीमित दायित्व

भागीदारी के अभिहित भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के अनुसरण में तैयार किए गए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रत्येक वर्ष विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, की जाएगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्ग या वर्गों को इस उपधारा की अपेक्षाओं से छूट प्रदान कर सकेगी ।

(5) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

35. वार्षिक विवरणी – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, अपने वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और रीति में, और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित एक वार्षिक विवरणी फाइल करेगी ।

(2) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

36. रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण – प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा रजिस्ट्रार को फाइल किए गए निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों,

लेखा और शोधन क्षमता विवरण तथा वार्षिक विवरणी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।

37. मिथ्या कथन के लिए शास्ति – यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित या उसके प्रयोजनों के लिए किसी विवरणी, विवरण या अन्य दस्तावेज में कोई व्यक्ति ऐसा कथन् करता है,–

(क) जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या है और उसे उसके मिथ्या होने का ज्ञान है ; या

(ख) जो किसी सारवान् तथ्य का सारवान् होने की जानकारी होते हुए लोप करता है,

तो वह, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा किंतु जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

38. सूचना प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति – (1) ऐसी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो इस अधिनियम के उपबधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार आवश्यक समझे, रजिस्ट्रार सीमित दायित्व भागीदारी के वर्तमान या पूर्व भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी सहित किसी व्यक्ति से युक्तियुक्त अवधि के भीतर किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई घोषणा करने या कोई ब्यौरे या विशिष्टयां प्रदाय करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा मांगे गए ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है या ऐसी घोषणा नहीं करता है या ऐसे ब्यौरों या विशिष्टियों का युक्तियुक्त समय या रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए समय के भीतर प्रदाय नहीं करता है, या जब रजिस्ट्रार का ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर या घोषणा या उपलब्ध कराए गए ब्यौरे या विशिष्टियों से समाधान नहीं होता है तो रजिस्ट्रार को उस व्यक्ति को उसके समक्ष या किसी निरीक्षण या किसी अन्य लोक अधिकारी के समक्ष, जिसे रजिस्ट्रार अभिहित करे, यथा स्थिति, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या घोषणा करने या ऐसे ब्यौरों का प्रदाय करने के लिए उपस्थित होने के लिए समन करने की शक्ति होगी ।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी विधिमान्य कारण के बिना, इस धारा के

अधीन किसी समन या रजिस्ट्रार की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

39. अपराधों का शमन – केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि उसने अपराध किया है, ऐसी राशि का, जो अपराध के लिए विहित अधिकतम जुर्माने की रकम तक की हो सकेगी, संग्रहण करके, शमन कर सकेगी ।

40. पुराने अभिलेखों का नष्ट किया जाना – रजिस्ट्रार, भौतिक रूप में इलेक्ट्रानिक रूप में उसके पास फाइल किए गए या रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को ऐसे नियमों के, जो विहित किए जाएं, अनुसार नष्ट कर सकेगा ।

41. विवरणी आदि देने के कर्तव्य का प्रवर्तन – (1) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी,–

(क) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी उपबंध का, जो किसी रीति में रजिस्ट्रार के पास कोई विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज फाइल करने या किसी विषय की उसको सूचना देने की अपेक्षा करता है, अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है ; या

(ख) किसी दस्तावेज को संशोधित करने या पूरा करने और पुनः प्रस्तुत करने या नए सिरे से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के रजिस्ट्रार के किसी अनुरोध का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है,

और सीमित दायित्व भागीदारी पर उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील के पश्चात् चौदह दिन के भीतर व्यतिक्रम को दूर करने में असफल रहती है, तो अधिकरण, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पर, उस सीमित दायित्व भागीदारी या उसके अभिहित भागीदारों या उसके भागीदारों को यह निदेश करते हुए आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, व्यतिक्रम को दूर करें ।

(2) ऐसे किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि आवेदन के सभी खर्चे और उसके आनुषंगिक व्यय उस सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) इस धारा की कोई बात, इस धारा में निर्दिष्ट किसी व्यतिक्रम के संबंध में उस सीमित दायित्व भागीदार पर शास्ति अधिरोपित करने वाले इस

अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध के प्रवर्तन को सीमित नहीं करेगी ।

अध्याय 8

भागीदारी अधिकारों का समनुदेशन और अंतरण

42. भागीदार का अंतरणीय हित -- (1) सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के लाभ और हानियों में हिस्सा बटाने और वितरण प्राप्त करने के भागीदार के अधिकार पूर्णतः या भागतः अंतरणीय हैं ।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में किसी भागीदार द्वारा किसी अधिकार के अंतरण से ही सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार का असहयोजन या विघटन और परिसमापन नहीं हो जाता है ।

(3) इस धारा के अनुसरण में अधिकारों के अंतरण से ही अंतरिती या समनुदेशिती को सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग लेने या उसके क्रियाकलापों को संचालित करने का या सीमित दायित्व भागीदारी के संव्यवहारों से संबंधित सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का हकदार नहीं बन जाता है ।

अध्याय 9

अन्वेषण

43. सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण – (1) केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में, जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करेगी, यदि –

(क) अधिकरण, या तो स्वःप्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून भागीदारों से प्राप्त किसी आवेदन पर, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ; या

(ख) कोई न्यायालय, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

(2) केंद्रीय सरकार किसी सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए, निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अनुसरण में निरीक्षण की नियुक्ति निम्नलिखित दशा में की जा सकेगी,–

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून भागीदार समर्थक साक्ष्य और ऐसी प्रतिभूति रकम के साथ, जो विहित की जाएं, आवेदन करते हैं ; या

(ख) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ऐसा आवेदन करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ; या

(ग) यदि केंद्रीय सरकार की राय में, यह सुझाव देने वाली परिस्थितियां हैं कि –

(i) सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार उसके लेनदारों, भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति को कपट वंचित करने के आशय से या अन्यथा किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए या उसके किन्हीं या किसी भागीदार के प्रतिकूल किसी अन्यायपूर्ण या अनुचित रीति में किया जा रहा है या किया गया है या सीमित दायित्व भागीदारी किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए बनाई गई थी ; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं ; या

(iii) रजिस्ट्रार या किसी अन्य अन्वेषण या विनियामक अभिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण हैं कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

44. अन्वेषण के लिए भागीदारों द्वारा आवेदन – धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा आवेदन के समर्थन में ऐसा साक्ष्य दिया जाएगा जो अधिकरण यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे कि आवेदकों के पास अन्वेषण

की अपेक्षा करने के लिए ठोस कारण है, और केंद्रीय सरकार, निरीक्षक को नियुक्त करने से पूर्व, आवेदकों से अन्वेषण के खर्चों के संदाय के लिए ऐसी राशि की, जो विहित की जाए, प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी ।

45. फर्म, निगम निकाय या संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाना – किसी फर्म, निगम निकाय या अन्य संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

46. संबंधित अस्तित्वों आदि के कामकाज का अन्वेषण करने की निरीक्षकों की शक्ति – (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे अस्तित्व के कामकाज का अन्वेषण करना भी आवश्यक समझता है, जो सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्तमान या पूर्व भागीदार या अभिहित भागीदार से पूर्व में सहयोजित रहा है या वर्तमान में सहयोजित है तो निरीक्षक को ऐसा करने की शक्ति होगी और अन्य अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार के कामकाज की, जहां तक वह यह समझता है कि उसके अन्वेषण के परिणाम सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज के अन्वेषण से सुसंगत हैं, रिपोर्ट करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार की दशा में, निरीक्षक, केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसके कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार, अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि ऐसा अनुमोदन क्यों नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर देगी ।

47. दस्तावेजों और साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार और भागीदारों का यह कर्तव्य होगा कि –

(क) वे, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के या उससे संबंधित सभी बहियों और कागजपत्रों को, जो उनकी अभिरक्षा में या शक्ति के अधीन हैं, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के

समक्ष प्रस्तुत करें ; और

(ख) अन्वेषण के संबंध में ऐसी सभी सहायता निरीक्षक को दें, जिसे देने में वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं ।

(2) निरीक्षक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न किसी अस्तित्व से, उस सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने या उसके समक्ष ऐसी बहियों और कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी सूचना देना या ऐसी बहियों या कागजपत्रों को प्रस्तुत करना उसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत या आवश्यक है ।

(3) निरीक्षक, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किन्हीं बहियों और कागजपत्रों को तीस दिन के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और तत्पश्चात् उन्हें सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व या व्यष्टि को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से बहियां और कागजपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, लौटा देगा :

परंतु निरीक्षक बहियों और कागजपत्रों को, यदि उनकी पुनः आवश्यकता पड़े, मंगा सकेगा :

परंतु यह और कि यदि उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत बहियों और कागजपत्रों की अधिप्रमाणित प्रतियां निरीक्षक को प्रस्तुत की जाती हैं, तो वह संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को बहियां और कागजपत्र लौटा देगा ।

(4) कोई निरीक्षक शपथ पर निम्नलिखित की जांच कर सकेगा –

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति ;

(ख) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व के कामकाज से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति ; और

(ग) तदनुसार शपथ दिला सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति से, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना –

(क) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस

निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई ऐसी बही या कागजपत्र प्रस्तुत करने में, जिसे प्रस्तुत करना उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है ; या

(ख) ऐसी कोई जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है ;

(ग) निरीक्षक के समक्ष तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में, जब उपधारा (4) के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाए या किसी प्रश्न का उत्तर देने में, जो उस उपधारा के अनुसरण में निरीक्षक द्वारा पूछा जाए ; या

(घ) किसी जांच के टिप्पणों पर हस्ताक्षर करने में,

असफल रहता है या उससे इंकार करता है, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात्, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी जांच के टिप्पण लेखबद्ध किए जाएंगे और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जिसकी शपथ पर परीक्षा की गई थी और ऐसे टिप्पणों की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसकी इस प्रकार शपथ पर परीक्षा की गई है तथा उसके पश्चात् उसे निरीक्षक द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा ।

48. निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का अभिग्रहण – (1) जहां, अन्वेषण के दौरान, निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या अभिहित भागीदार की या उससे संबंधित बहियों और कागजपत्रों को नष्ट, विरूपित, उनमें फेरफार, मिथ्याकृत किया जा सकता है या उन्हें छिपाया जा सकता है, तो निरीक्षक, यथास्थिति, उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता है, ऐसी बहियों और कागजपत्रों को अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, आवेदन पर विचार करने और निरीक्षक की सुनवाई करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो, आदेश द्वारा निरीक्षक को –

(क) उस स्थान या स्थानों में, जहां ऐसी बहियां और कागजपत्र रखे गए हैं, ऐसी सहायता सहित, जो अपेक्षित हो, प्रवेश करने ;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी लेने ;

(ग) उन बहियों और कागजपत्रों का, जिन्हें निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अभिग्रहण करने,

के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) निरीक्षक, इस धारा के अधीन अभिगृहीत बहियों और कागजपत्रों को अन्वेषण के निष्कर्ष के अपश्चात् की ऐसी अवधि के लिए, जो वह आवश्यक समझे, अपनी अभिरक्षा में रखेगा और तत्पश्चात् उन्हें संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से वे अभिगृहीत किए गए थे, लौटा देगा और ऐसे लौटाए जाने की सूचना मजिस्ट्रेट को देगा :

परंतु बहियां और कागजपत्र छह मास से अधिक की लगातार अवधि के लिए अभिगृहीत नहीं रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि निरीक्षक, यथापूर्वोक्त ऐसी बहियों और कागजपत्रों को लौटाने से पूर्व, उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा ।

(4) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन की गई तलाशियों या अभिग्रहणों से संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

49. निरीक्षक की रिपोर्ट – (1) निरीक्षक, और यदि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, उस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट देंगे और अन्वेषण के निष्कर्ष पर केंद्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट देंगे और ऐसी रिपोर्ट लिखित में या मुद्रित रूप में होगी, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे ।

(2) केंद्रीय सरकार,–

(क) निरीक्षकों द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट से भिन्न) की एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी को, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और रिपोर्ट में कार्रवाई किए गए या उससे संबंधित किसी अन्य अस्तित्व या व्यक्ति को भी भेजेगी ;

(ख) यदि, वह ठीक समझे, तो उसकी एक प्रति रिपोर्ट से संबंधित या उससे प्रभावित किसी व्यक्ति या अस्तित्व को, अनुरोध पर और विहित फीस के संदाय पर दे सकेगी ।

50. अभियोजन – यदि, धारा 49 के अधीन रिपोर्ट से, केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में या किसी अन्य अस्तित्व के संबंध में, जिसके कामकाज का अन्वेषण किया गया है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी रहा है, जिसके लिए वह दायी है, तो केंद्रीय सरकार, उस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का अभियोजन कर सकेगी ; और, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के सभी भागीदारों, अभिहित भागीदारों और, अन्य कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं के अभियोजन के संबंध में, केंद्रीय सरकार को ऐसी सभी सहायता देने का कर्तव्य होगा, जिसे देने के लिए वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं ।

51. सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आवेदन – यदि ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसमापन किए जाने के लिए दायी है और धारा 49 के अधीन किसी ऐसी रिपोर्ट से केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं ऐसी अन्य परिस्थितियों के कारण जो धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, ऐसा करना समीचीन है, तो केंद्रीय सरकार जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा पहले से परिसमापन नहीं कर दिया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, इस आधार पर कि इसका परिसमापन किया जाना न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण है, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए अधिकरण के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत कराएगी ।

52. नुकसानी या संपत्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियां – यदि धारा 49 के अधीन किसी रिपोर्ट से केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व द्वारा, जिसके कार्यों का अन्वेषण किया गया है,–

(क) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व के संवर्धन या विरचना या प्रबंधन के संबंध में कोई कपट, अपकरण या अन्य कदाचार की बाबत नुकसानियों की वसूली के लिए ; या

(ख) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व की किसी संपत्ति की, जिसका दुरुपयोजन किया गया है या जिसे सदोष प्रतिधारित किया गया है, वसूली के लिए,

कार्यवाहियां की जानी चाहिएं, तो केंद्रीय सरकार, उस प्रयोजन के लिए स्वयं कार्यवाही कर सकेगी ।

53. अन्वेषण के खर्चे – (1) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक द्वारा अन्वेषण के और उसके आनुषंगिक खर्चों को प्रथम बार केंद्रीय सरकार द्वारा चुकाया जाएगा ; किंतु निम्नलिखित व्यक्ति नीचे वर्णित सीमा तक केंद्रीय सरकार को ऐसे खर्चों की बाबत प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होंगे, अर्थात् :–

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अभियोजन पर सिद्धदोष ठहराया गया है या जिसे धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों में किसी संपत्ति की नुकसानी के लिए संदाय करने या बहाली का आदेश दिया गया है उन्हीं कार्यवाहियों में, उस सीमा तक उक्त खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश दिया जा सकेगा, जो, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाले या ऐसी नुकसानियों का संदाय करने का आदेश करने वाले या ऐसी संपत्ति की बहाली करने वाले न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) कोई अस्तित्व जिसके नाम में यथापूर्वोक्त कार्यवाहियां की जाती हैं, कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वसूल की गई किसी धनराशि या संपत्ति की रकम या मूल्य की सीमा तक दायी होगा ;

(ग) जब तक अन्वेषण के परिणामस्वरूप धारा 50 के अनुसरण में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाता तब तक,–

(i) निरीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित कोई अस्तित्व, भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति केंद्रीय सरकार को संपूर्ण व्ययों की बाबत प्रतिपूर्ति करने का तब तक और उस सीमा तक दायी होगा जब तक केंद्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे ; और

(ii) जहां धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, वहां

अन्वेषण के लिए आवेदक, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, दायी होंगे ।

(2) ऐसी कोई रकम, जिसके लिए सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व उपधारा (1) के खंड (ख) के आधार पर दायी है, उस खंड में वर्णित धनराशियों या संपत्ति पर पहला प्रभार होगी ।

(3) उन व्ययों की रकम, जिनकी बाबत कोई सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व, कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन केंद्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा उपगत या धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों के संबंध में उपगत कोई लागत या व्यय, कार्यवाहियों को चलाने के लिए अन्वेषण के व्यय समझे जाएंगे ।

54. निरीक्षक की रिपोर्ट का साक्ष्य होना – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक या किन्हीं निरीक्षकों की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित प्रति, रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किसी विषय के संबंध में साक्ष्य के रूप में किसी विधिक कार्यवाही में ग्राह्य होगी ।

अध्याय 10

सीमित दायित्व भागीदारी का संपरिवर्तन

55. फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – कोई फर्म, इस अध्याय और दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

56. प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – कोई प्राइवेट कंपनी इस अध्याय और तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

57. असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – कोई असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी इस अध्याय और चौथी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

58. रजिस्ट्रीकरण और संपरिवर्तन का प्रभाव – (1) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि, यथास्थिति, किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी ने दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उपबंधों का अनुपालन किया है, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी अनुसूची के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और यह कथन करते हुए कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, ऐसे प्ररूप में, जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, संबंधित फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह, यथास्थिति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, सीमित दायित्व भागीदारी के संपरिवर्तन और उसकी विशिष्टियों के बारे में ऐसी रीति और प्ररूप में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार, यथास्थिति, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के शेयरधारक वह सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी संपरिवर्तित की गई है और सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे जो उन्हें लागू हों ।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से ही संपरिवर्तन के प्रभाव ऐसे होंगे, जो, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही,–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) यथास्थिति, फर्म या कंपनी में निहित सभी मूर्त (जंगम या स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, यथास्थिति, फर्म या कंपनी से संबंधित

सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और, यथास्थिति, फर्म या कंपनी के संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कार्रवाई या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) यथास्थिति, फर्म या कंपनी विघटित हुई और, यथास्थिति, फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेख से हटा दी गई समझी जाएगी ।

अध्याय 11

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

59. विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी – केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों को ऐसे उपांतरणों सहित, जो समुचित प्रतीत हों, या ऐसी संरचना वाले ऐसे विनियामक तंत्र को, जो विहित किया जाए, लागू या सम्मिलित करके भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कारबार के स्थान की स्थापना करने और उनमें अपने कारबार करने के संबंध में उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी ।

अध्याय 12

सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता, ठहराव या पुनर्निर्माण

60. सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता या ठहराव – (1) जहां,–

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसके लेनदारों के बीच ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच,

समझौता या ठहराव का प्रस्ताव है, वहां अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी लेनदार या भागीदार के या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या अधिकरण निदेश दे, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों का अधिवेशन बुलाए जाने, आयोजित और संचालित किए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(2) यदि अधिवेशन में, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत किसी समझौते या ठहराव के लिए सहमत हो जाता है तो समझौता या ठहराव, यदि अधिकरण द्वारा

मंजूर किया गया हो, आदेश द्वारा, यथास्थिति, सभी लेनदारों या भागीदारों पर और सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर और सीमित दायित्व भागीदारी के अभिदायकर्ताओं पर भी आबद्धकर होगा :

परंतु अधिकरण द्वारा किसी समझौते या ठहराव को मंजूरी देने वाला कोई आदेश तभी किया जाएगा जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति ने, जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, शपथपत्र द्वारा या अन्यथा अधिकरण को सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित सभी तात्विक तथ्यों को, जिनके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी की नवीनतम वित्तीय स्थिति और सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में लंबित कोई अन्वेषण कार्यवाहियां भी हैं, प्रकट कर दिया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, ऐसा आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा और वह इस प्रकार फाइल किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(4) यदि उपधारा (3) का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(5) अधिकरण, इस धारा के अधीन उसे आवेदन किए जाने के पश्चात्, किसी समय, सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही के आरंभ किए जाने या जारी रखे जाने को, ऐसे निबंधनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे, आवेदन को अंतिम रूप से निपटाए जाने तक रोक सकेगा ।

61. समझौता या ठहराव लागू करने की अधिकरण की शक्ति – (1) जहां अधिकरण, धारा 60 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत समझौता या ठहराव को मंजूर करने वाला कोई आदेश करता है, वहां,–

(क) उसे समझौते या ठहराव के क्रियान्वयन का अधीक्षण करने की शक्ति होगी ; और

(ख) वह ऐसा आदेश किए जाने के समय या उसके पश्चात्

किसी भी समय, किसी विषय के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या ठहराव में ऐसे उपांतरण कर सकेगा, जो वह समझौते या ठहराव के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे ।

(2) यदि पूर्वोक्त अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धारा 60 के अधीन मंजूर किया गया कोई समझौता या ठहराव उपांतरणों सहित या उसके बिना समाधानप्रद रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है तो वह, स्वप्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश कर सकेगा और ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा 64 के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा ।

62. सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्निर्माण या समामेलन को सुकर बनाने के लिए उपबंध – (1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी और किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच, जो उस धारा में वर्णित हैं, प्रस्तावित समझौते या ठहराव की मंजूरी के लिए धारा 60 के अधीन कोई आवेदन अधिकरण को किया जाता है और अधिकरण को यह दर्शित किया जाता है कि–

(क) समझौता या ठहराव किसी सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों के पुनर्निर्माण या किन्हीं दो या अधिक सीमित दायित्व भागीदारियों के समामेलन की स्कीम के प्रयोजनों या उसके संबंध में प्रस्तावित किया गया है ; और

(ख) स्कीम के अधीन संबंधित किसी सीमित दायित्व भागीदारी का (जिसे इस धारा में "अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्व या उसका कोई भाग किसी दूसरी सीमित दायित्व भागीदारी में (जिसे इस धारा में "अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) अंतरित किया जाना है,

वहां अधिकरण, समझौते या ठहराव की मंजूरी देने वाले आदेश द्वारा या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :–

(i) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्वों या उसके किसी भाग का अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण ;

(ii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जाना ;

(iii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन के बिना विघटन ;

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में किए जाने वाले उपबंध, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश दे, समझौते या ठहराव से विसम्मति रखता है ; और

(v) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि पुनर्निर्माण या समामेलन पूर्णतः और प्रभावी रूप से किया जाएगा :

परंतु किसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों से समामेलन की किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में प्रस्तावित किसी समझौते या ठहराव को अधिकरण द्वारा तभी मंजूरी दी जाएगी, जब अधिकरण को रजिस्ट्रार से यह रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो :

परंतु यह और कि खंड (iii) के अधीन किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का कोई आदेश अधिकरण द्वारा तभी किया जाएगा जब शासकीय समापक ने सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और कागजपत्रों की संवीक्षा करने पर अधिकरण को यह रिपोर्ट दे दी हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(2) जहां इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी संपत्ति या दायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध करता है वहां उस आदेश के आधार पर वह संपत्ति अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित होगी और उसमें निहित हो जाएगी और ऐसे दायित्व उसमें अंतरित होंगे और उसके दायित्व बन जाएंगे ; तथा किसी संपत्ति की दशा में, यदि आदेश ऐसा निदेश करे,

ऐसे किसी प्रभार से मुक्त होगी, जो समझौते या ठहराव के कारण, प्रभाव में नहीं रहा है ।

(3) इस धारा के अधीन कोई आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, जिसके संबंध में आदेश किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल कराएगी ।

(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में, "संपत्ति" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, अधिकार और शक्तियां भी हैं ; और "दायित्वों" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कर्तव्य भी हैं ।

अध्याय 13

परिसमापन और विघटन

63. परिसमापन और विघटन – सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या तो स्वेच्छा से या अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा और इस प्रकार परिसमापित सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो सकेगी ।

64. वे परिस्थितियां, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा – सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा–

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी यह विनिश्चय करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाए;

(ख) यदि छह मास से अधिक की अवधि के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम रहती है ;

(ग) यदि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है ;

(घ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हितों के विरुद्ध कार्य

किया है ;

(ङ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने लगातार किन्हीं पांच वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखा और शोधन-क्षमता का विवरण या वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में व्यतिक्रम किया है; या

(च) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायोचित और साम्यापूर्ण है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन कर दिया जाए ।

65. परिसमापन और विघटन के लिए नियम – केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन और विघटन से संबंधित उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

66. सीमित दायित्व भागीदारी के साथ भागीदार के कारबार संव्यवहार – कोई भागीदारी सीमित भागीदारी को धन उधार दे सकेगा और उसके साथ अन्य कारबार कर सकेगा और ऋण या अन्य संव्यवहारों के संबंध में उसके वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जो ऐसे व्यक्ति के हैं, जो भागीदार नहीं है ।

67. कंपनी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना – (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का कोई उपबंध,–

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदार को लागू होगा ; या

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व

दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वह उस उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर दोनों सदन सहमत हों ।

68. दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना – (1) इस अधिनियम के अधीन फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज की कोई प्रति या उससे कोई उद्धरण, जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय या जारी किया जाता है और जिसे ऐसे दस्तावेज की सत्यप्रति या उद्धरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अनुसार अंकीय चिह्नक के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में मूल दस्तावेज के समान विधिमान्यता के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगा ।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय की गई कोई सूचना जो रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज के सत्य उद्धरण के रूप में अंकीय चिह्नक के माध्यम से रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगी और यह उपधारणा की जाएगी कि वह जब तक उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, ऐसे दस्तावेज से सत्य उद्धरण है ।

69. अतिरिक्त फीस का संदाय – इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या विवरणी यदि उसमें उपबंधित समय में फाइल या रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है तो उस समय के पश्चात् उस तारीख से, जिस तक उसे फाइल किया जाना चाहिए, तीन सौ दिन की अवधि तक, ऐसी किसी फीस के अतिरिक्त, जो ऐसे दस्तावेज या विवरणी को फाइल करने के लिए संदेय हों, ऐसे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय पर फाइल या रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी :

परंतु ऐसा दस्तावेज या विवरणी, इस अधिनियम के अधीन किसी

अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा में विनिर्दिष्ट फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय पर तीन सौ दिन की ऐसी अवधि के पश्चात् भी फाइल की जा सकेगी ।

70. वर्धित दंड – यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार कोई अपराध करता है तो सीमित दायित्व भागीदारी या कोई भागीदार या अभिहित भागीदार दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए यथाउपबंधित कारावास से दंडनीय होगा, किंतु ऐसे अपराधों की दशा में, जिसके लिए कारावास के साथ या उसे छोड़कर जुर्माना विहित किया गया है, जुर्माने से, जो ऐसे अपराध के लिए जुर्माने की रकम का दुगुना होगा, दंडनीय होगा ।

71. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना – इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

72. अधिकरण और अपील अधिकरण की अधिकारिता – (1) अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं ।

(2) अधिकरण के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चथ, धारा 10चयक, धारा 10छ, धारा 10छघ, धारा 10छङ और धारा 10छच के उपबंध ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे ।

73. अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के अननुपालन के संबंध में शास्ति – जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

74. साधारण शास्तियां – कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध का दोषी है जिसके लिए स्पष्ट रूप से कोई दंड उपबंधित नहीं किया गया है, जुर्माने का जो पांच लाख रुपए तक का हो

सकेगा, किंतु जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा दायी होगा और अतिरिक्त जुर्माने का, जो उस प्रथम दिन के, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, पश्चात् के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

75. रजिस्टर से निष्क्रिय सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने की रजिस्ट्रार की शक्ति – जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कारबार नहीं चला रही है या अपना प्रचालन नहीं कर रही है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी का नाम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रार, इस धारा के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने से पूर्व ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

76. सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अपराध – जहां सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध,–

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया ; या

(ख) उस सीमित भागीदारी के भागीदार या भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ,

साबित होता है, वहां यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदार का भागीदार या उसके भागीदार या उसका अभिहित भागीदार या उसके अभिहित भागीदार और वह सीमित दायित्व भागीदार उस अपराध के दोषी होंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे ।

77. न्यायालय की अधिकारिता – तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होगी और उक्त अपराध की बाबत दंड अधिरोपित करने की शक्ति होगी ।

78. अनुसूचियों में परिवर्तन करने की शक्ति – (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी उपबंध को परिवर्तित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई परिवर्तन इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और वह, जब तक अधिसूचना में अन्यथा निदेश न हो, अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक परिवर्तन, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिवर्तन में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु परिवर्तन के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

79. नियम बनाने की शक्ति – (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित भागीदार द्वारा दी जाने वाली पूर्व सहमति का प्ररूप और रीति ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होने वाले प्रत्येक व्यष्टि की विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अभिहित भागीदार बनने के लिए किसी व्यष्टि की पात्रता से संबंधित शर्तें और अपेक्षाएं ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निगमन दस्तावेज फाइल करने की रीति और उसके लिए संदेय फीस का संदाय ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी का प्ररूप ;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निगमन दस्तावेज का प्ररूप ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित निगमन दस्तावेज में अंतर्विष्ट की जाने वाली जानकारी ;

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी या किसी भागीदार या अभिहित भागीदार पर दस्तावेजों की तामील करने की रीति और वह प्ररूप और रीति, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कोई अन्य पता घोषित किया जा सकेगा ;

(झ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचना देने का प्ररूप और रीति और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के संबंध में शर्तें ;

(ञ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने की रीति और संदेय फीस की रकम ;

(ट) वह रीति जिसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नाम आरक्षित किए जाएंगे ;

(ठ) वह रीति जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी अस्तित्व द्वारा आवेदन किया जा सकेगा ;

(ड) धारा 19 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के नाम-परिवर्तन की सूचना का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए परिवर्तन का प्ररूप और रीति और संदेय फीस की रकम ;

(ण) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन सूचना का प्ररूप, संदेय फीस की रकम और

विवरण के अधिप्रमाणन की रीति ;

(त) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किसी भागीदार के अभिदाय के धनीय मूल्य का लेखा रखने और प्रकटन की रीति ;

(थ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन लेखा बहियां और उनके रखे जाने की अवधि ;

(द) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन लेखा और शोधनक्षमता के विवरण का प्ररूप और रीति ;

(ध) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन लेखा और शोधनक्षमता का विवरण फाइल करने का प्ररूप, रीति, फीस और समय ;

(न) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा ;

(प) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी का प्ररूप और रीति और उसके लिए संदेय फीस ;

(फ) धारा 36 के अधीन निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तनों, लेखा और शोधनक्षमता विवरण और वार्षिक विवरणी के निरीक्षण की रीति और उसके लिए संदेय फीस की रकम ;

(ब) धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों का किसी रूप में नष्ट किया जाना ;

(भ) धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित रकम ;

(म) धारा 44 के अधीन दी जाने वाली प्रतिभूति की रकम ;

(य) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन; प्रति देने के लिए संदेय फीस ;

(यक) धारा 54 के अधीन निरीक्षक की रिपोर्ट के अधिप्रमाणन की रीति ;

(यख) धारा 58 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(यग) धारा 59 के अधीन विदेशी सीमित दायित्व भागीदारियों

द्वारा भारत में कारबार के स्थान की स्थापना करने और कारबार करने और विनियामक तंत्र तथा उसकी संरचना के संबंध में ;

(यघ) धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन अधिवेशन बुलाने, आयोजित और संचालित करने की रीति ;

(यङ) धारा 65 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारियों के परिसमापन और विघटन के संबंध में ;

(यच) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेज फाइल करने की रीति और शर्तें ;

(यछ) धारा 75 के अधीन रजिस्टर से सीमित दायित्व भागीदारियों के नाम काटने की रीति ;

(यज) दूसरी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विशिष्टियों वाले विवरण का प्ररूप और रीति तथा फीस की रकम ;

(यझ) दूसरी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप ;

(यञ) तीसरी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ;

(यट) तीसरी अनुसूची के पैरा 4 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(यठ) चौथी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ; और

(यड) चौथी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह

नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

80. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

81. संक्रमणकालीन उपबंध – जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण गठित नहीं किए जाते हैं तब तक इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो–

(क) धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क), और धारा 44 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्द रखे गए हों ;

(ख) धारा 51 और धारा 60 से धारा 64 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों ;

(ग) धारा 72 की उपधारा (2) में आने वाले "अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों ।

पहली अनुसूची

[धारा 23(4) देखिए]

भागीदारों और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित विषयों के संबंध में, ऐसे विषयों पर किसी करार के न होने की दशा में लागू होने वाले उपबंध

1. भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य किसी सीमित दायित्व भागीदारी के निबंधनों के अधीन रहते हुए या किसी विषय पर ऐसे किसी करार के अभाव में, इस अनुसूची के उपबंधों द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

2. सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी की पूंजी, लाभों और हानियों में समान रूप से हिस्सा बंटाने के लिए हकदार हैं ।

3. सीमित दायित्व भागीदारी प्रत्येक भागीदार को उसके द्वारा--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के सामान्य और समुचित संचालन में ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या संपत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक रूप से की गई किसी बात में या उसके बारे में,

किए गए संदायों और उपगत वैयक्तिक दायित्वों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी ।

4. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के संचालन में उसके कपट से उसको हुई किसी हानि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को क्षतिपूरित करेगा ।

5. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग ले सकेगा ।

6. कोई भी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या प्रबंध में कार्य करने के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

7. विद्यमान भागीदारों की सहमति के बिना किसी व्यक्ति को भागीदार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

8. सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित कोई विषय या मुद्दा भागीदारों की संख्या में बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक भागीदार का एक मत होगा । तथापि, सभी भागीदारों की सहमति के बिना सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

9. प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा किए गए विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय किए जाने के बीस दिन के भीतर कार्यवृत्त में लेखबद्ध किए जाएं और सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखे और अनुरक्षित किए जाएं ।

10. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को प्रभावित करने वाली बातों के बारे में वास्तविक लेखा और पूरी जानकारी किसी भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधियों को देगा ।

11. यदि कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, उसी प्रकृति का कोई कारबार करता है जो सीमित दायित्व भागीदारी का है और उससे प्रतियोगिता करता है तो वह उस कारबार में उसे हुए सभी लाभों का, सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा और उनका उसे संदाय करने के लिए दायी होगा ।

12. प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित किसी संव्यवहार से या सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति, नाम या किसी कारबारी संपर्क से उसके द्वारा व्युत्पन्न किसी फायदे का सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा ।

13. भागीदारों का कोई बहुमत किसी भागीदार को तभी निष्कासित कर सकता है जब भागीदारों के बीच स्पष्ट करार द्वारा ऐसा करने के लिए कोई शक्ति प्रदान की गई हो ।

14. भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार से उद्भूत ऐसे सभी विवाद, जिनका निपटान ऐसे करार के निबंधनानुसार नहीं किया जा सकता है, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अनुसार माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

1. निर्वचन – इस अनुसूची में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में यथापरिभाषित फर्म अभिप्रेत है ;

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली फर्म के संबंध में, "संपरिवर्तन" से फर्म की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ।

2. फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – (1) कोई फर्म इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों द्वारा आबद्ध होंगे, जो उनको लागू होते हैं ।

3. संपरिवर्तन के लिए पात्रता – कोई फर्म सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए इस अनुसूची के अनुसार आवेदन कर सकेगी यदि और केवल तभी जब सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में, जिसमें फर्म का संपरिवर्तन किया जाना है, उस फर्म के सभी भागीदार सम्मिलित हैं न कि कोई और ।

4. फाइल किए जाने वाला विवरण – कोई फर्म किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी–

(क) उसके सभी भागीदारों द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां, अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :–

(i) फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि लागू हों ; और

(ii) वह तारीख जिसको फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या किसी अन्य विधि यदि लागू हो के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई थी ; या

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

5. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, संबंधित उस फर्म रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

6. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा – (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार, किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही,–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) फर्म में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति और फर्म से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और फर्म का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) फर्म विघटित समझी जाएगी और यदि वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है तो उस अधिनियम के अधीन रखे गए अभिलेखों से हटा दी जाएगी ।

8. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण – यदि कोई संपत्ति, जिसको पैरा 7 का उप-पैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे माध्यम और ऐसे प्ररूप में, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

9. लंबित कार्यवाहियां – फर्म द्वारा या उसके विरुद्ध सभी कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

10. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना – किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की फर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

11. विद्यमान करार – ऐसा प्रत्येक करार, जिसका फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो–

(क) फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार की पक्षकार हो ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत फर्म के प्रति निर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रति निर्देश रखा गया हो ।

12. विद्यमान संविदाएं आदि – रजिस्ट्रीकरण की तारीख़ से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो फर्म से संबंधित हैं या जिनमें फर्म एक पक्षकार है, उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या फर्म के स्थान पर वह उसकी पक्षकार हो ।

13. नियोजन का जारी रहना – नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 या पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उसके अधीन नियोजक हो ।

14. विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति – (1) किसी भी भूमिका या हैसियत में फर्म की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) फर्म को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

15. पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना – पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, फर्म को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

16. भागीदार का संपरिवर्तन से पूर्व फर्म के दायित्वों और बाध्यताओं के लिए दायी होना – (1) पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी फर्म का, जो सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई है, प्रत्येक भागीदार फर्म के ऐसे दायित्वों

और बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से) दायी बनी रहेगी, जो संपरिवर्तन के पूर्व उपगत हुई हों या जो संपरिवर्तन के पूर्व किसी संविदा से उद्भूत हुई हों ।

(2) यदि ऐसा कोई भागीदार पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी दायित्व या बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह ऐसे दायित्व या बाध्यता के संबंध में (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ किसी करार के अधीन रहते हुए) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा ।

17. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :–

(क) यह विवरण कि फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी ;

(ख) उस फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागू हो) जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उप-पैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

1. निर्वचन – इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में यथापरिभाषित प्राइवेट कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली प्राइवेट कंपनी के संबंध में "संपरिवर्तन" से कंपनी की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ।

2. प्राइवेट कंपनियों की सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए पात्रता – (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) कोई कंपनी इस अनुसूची के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए केवल तभी आवेदन कर सकेगी यदि–

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें वह संपरिवर्तित होती है भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं, न कि कोई और ।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे, जो उन्हें लागू होते हैं ।

3. फाइल किए जाने वाला विवरण – कंपनी किसी सीमित दायित्व

भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी–

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :–

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी ; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

4. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करें, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

5. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा – (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्टार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – पैरा 4 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही,–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा ।

7. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण – यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 6 का उप-पैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, यथासाध्य शीघ्र, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

8. लंबित कार्यवाहियां – कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

9. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना – किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

10. विद्यमान करार – ऐसा प्रत्येक करार जिसका कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व कंपनी एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो :–

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उस करार की पक्षकार हो ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

11. विद्यमान संविदाएं, आदि – रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीमें, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखित और ठहराव जो कंपनी से संबंधित हैं या जिनमें कंपनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो ।

12. नियोजन का जारी रहना – नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे, पैरा 10 या पैरा 11 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी ।

13. विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति – (1) किसी भूमिका या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

14. पैरा 6 से पैरा 13 का लागू होना – पैरा 6 से पैरा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कंपनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

15. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना – (1) सीमित दायित्व

भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी ;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उप-पैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

चौथी अनुसूची

(धारा 57 देखिए)

असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

1. निर्वचन – इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "कंपनी" से असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली कंपनी के संबंध में "संपरिवर्तन" से कंपनी की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ;

(ग) "सूचीबद्ध कंपनी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रकटन और विनिधानकर्ता संरक्षण) मार्गनिर्देश, 2000 में यथा परिभाषित सूचीबद्ध कंपनी अभिप्रेत है ;

(घ) "असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध कंपनी नहीं है ।

2. कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन – (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे, जो उन्हें लागू होते हैं ।

3. संपरिवर्तन के लिए पात्रता – कोई कंपनी इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगी यदि –

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान

या प्रवृत्त नहीं है ; और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें यह संपरिवर्तित होती है, भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं, न कि कोई और ।

4. विवरण का फाइल किया जाना – कोई कंपनी किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी–

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :–

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ; और

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी ; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

5. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र यह कथन करते हुए जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

6. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा – (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही,–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा ।

8. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण – यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 7 का खंड (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी यथाशीघ्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथा अपेक्षित संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

9. लंबित कार्यवाहियां – कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित है, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

10. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना – किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व

भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

11. विद्यमान करार – ऐसा प्रत्येक करार, जिसकी कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि तद्धीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो–

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार की पक्षकार थी ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

12. विद्यमान संविदाएं आदि – रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो कंपनी से संबंधित हैं या जिनमें कंपनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही जारी रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों, और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो ।

13. नियोजन का जारी रहना – नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 और पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी ।

14. विद्यमान नियुक्ति प्राधिकार या शक्ति – (1) किसी भूमिका या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पूर्व प्रवृत्त है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

15. पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना – पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो

सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कंपनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

16. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :–

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित हो गई थी ;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे यह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उपपैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है पचास रुपए से कम होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।